BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO. 77 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Attan Miya@Ataur Rahman Siddiqui .. Appellant

Versus

State of Uttar Pradesh& Ors. ..Respondent

NDOH: 27.02.2026

***REVISED* INDEX**

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 4/5 Uttar Pradesh Pollution Control Board, along with supporting Affidavit	*1-11*
2.	**ANNEXURE R4/1**: A true copy of the closure order dated 29.10.2025	*12-14*
3.	**ANNEXURE R4/2**: A true copy of the inspection dated 02.09.2025	*15-16*
4.	**ANNEXURE R4/3**: A true copy of the show cause notice dated 29.10.2025	*17-18*
5.	**ANNEXURE R4/4**: A true copy of the inspection report dated 24.10.2025	*19-22*
6.	**ANNEXURE R4/5:** A true copy of the Complaint under Section 153 BNSS	*23-34*
7.	**ANNEXURE R4/6:** Brief parawise comments to the Appeal	*35-86*

Respondent No. 4 & 5
Uttar Pradesh Pollution Control Board

Through

Amit Shukla
Advocate for the UPPCB
For LEXWEB
Advocates & Legal Advisors
Office at: D-54, Sector 48, NOIDA 201301
Email: amitshukla@lexweb.in
Ph. No. +919999933220; 9999333220

Place: New Delhi
Date: 16.02.2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 77 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Attan Miya@Ataur Rahman Siddiqui ..Appellant

Versus

State of Uttar Pradesh& Ors. ..Respondent

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 / 5 UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present reply is being filed on behalf of Respondent No. 4 – Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB) to the Appeal being preferred under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010, challenging the closure of poultry layer farm, vide order dated 29.10.2025.
   A true copy of the closure order dated 29.10.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R4/1 (Colly)**

2. That the contents of Appeal are denied unless otherwise expressly admitted.

3. That the Project Proponent has been operating the said poultry layer farm without any valid CTE/CTO under section 21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981.

4. That basis the complaints received by villagers of Rahimabad, a Joint Committee was set-up and a site inspection was carried out on 02.09.2025 by the committee

comprising of Chief Veterinary Officer, Deputy Veterinary Officer, Safipur, Unnao, along with authorized officer from the Regional Office, UPPCB, Unnao.

5. That during the inspection dated 02.09.2025, the following was observed:
   (a) The distance of poultry layering farm was just 180m from the settlement of Rahimabad village.
   (b) No proper measures for management of solid waste generating from the poultry farm.
   (c) No measures for disposal of animal litter, which was being stored out in open causing foul odour and flies, and was a major cause of complaint of the nearby villagers.
   (d) No adequate sanitary measures were found at poultry farm, and the farm was in unsanitary state, causing foul odour, flies and unhygienic environment for nearby areas.
   (e) No measures found to be established to curb the foul odour so caused by the aforesaid reasons.
   (f) That the poultry layering farm was operating without any CTE/CTO.

   A true copy of the inspection dated 02.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R4/2.**

6. That pursuant to the finding of joint inspection dated 02.09.2025, a show cause notice dated 14.10.2025 was issued to the Appellant.

   A true copy of the show cause notice dated 14.10.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R4/3.**

7. That the Appellant has not responded to the Show Cause notice dated 14.10.2025.

8. That pursuant to the show cause notice dated 14.10.2025 the inspection was again carried out by UPPCB, Regional Office, Unnao on 24.10.2025. During the inspection the farm was in operation, and one Md. Asif, farm supervisor was present. The findings of the inspection dated 24.10.2025 are as under:

   (a) One cemented tank was found which was alleged is used for the disposal of dead chickens but was not in use, due to water present inside. And presently the disposal of dead chickens was being done by open burning.

   (b) There were no measures to address the foul odour and emissions released from open burning of the dead chickens.

   (c) The farm was found to be unsanitary, causing foul odour and flies, in the nearby area.

   (d) There was no measure for disposal of animal litter, which was being stored out in open causing foul odour and flies, and was a major cause of complain of the nearby villagers.

   (e) The foul odour and breeding of flies caused significant public nuisance in nearby area.

(f) During inspection people from nearby areas gathered outside the poultry layer farm and sloganeered for its closure. There was intense anger amongst the public.

(g) The distance of poultry layering farm was just 180m from the settlement of Rahimabad village.

(h) The farm was operating 3 DG sets of 10,30 and 40 KVA, and the chimney used was not as per the emission regulations for the discharge of flue gas.

(i) There were no measures found for odour control and management of solid wastes, as per the Environmental Guidelines 2022 for Poultry Farms by Central Pollution Control Board.

A true copy of the inspection report dated 24.10.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R4/4.**

9. That pursuant to the inspection dated 24.10.2025, a closure order for the poultry farm was issued on 29.10.2025.

10. That the farm is a source of public nuisance and people from nearby area have complained to various authorities about it.

11. That a case under Section 152 BNSS has filed adjudication before the Ld. SDM, Safipur, Unnao against the Appellant.

A true copy of the Order Dated-18.10.2025 under Section 153 BNSS is annexed herewith and marked as **Annexure R4/5.**

12. That the poultry layer farm was found to be just 180m away from the village settlement of Rahimabad, which is in clear violation of Environmental Guidelines 2022 for Poultry Farms by Central Pollution Control Board, wherein the minimum distance for establishing a poultry farm should be 500m from residential zone.

"7. Siting Criteria New Poultry Farms (Set up after issuance of Guidelines) should preferably be established 500 m from residential zone in order to avoid nuisance caused due to odour& flies."

13. That the said poultry layer farm, having around 28000 hens and production of around 25000 egg per day, is classified as a medium category by operations, as per the Environmental Guidelines 2022 for Poultry Farms by Central Pollution Control Board.

"4.0 Classification of Poultry Farms
Based on the number of handling of birds, Poultry farms may be classified into three categories.
- *Small (5,000-25,000 bird)*
- *Medium (above 25,000-1,00,000 birds).*
- *Large (above 1,00,000 birds)"*

14. That the solid waste (chicken litter) produced was stored out in open, in clear contravention to the practices laid down by Environmental Guidelines 2022 for Poultry Farms by Central Pollution Control Board, which are reproduced herein below-

"6.2 Management of solid wastes (Solid Wastes contains Manure/litter, Hatchery Debris and Dead Birds)
(i) Manure handling and disposal

- *Proper ventilation and free flow of air over manure collection points to keep it dry (by blowing dry air over it*

or by conveying ventilation air through the manure pit) shall be ensured to prevent obnoxious odour in the area.

- *Poultry housing shall be ventilated allowing sufficient supply of fresh air to remove humidity, dissipate heat and prevent build-up of gases such as methane, carbon dioxide, ammonia, etc.*

- *Excreta shall be scratched at least once in two days as needed for mixing of litter and to keep bedding material (rice husk, saw dust, wood shavings etc.) dry in case of deep litter houses the waste material. This waste shall be utilised for composting after completion of the cycle.*

- *Manure collected under cages on high raised platforms shall be stored for further processing and utilized by using following options*

Sl. No.	***Poultry Farms***	***Methods for Disposal/Utilization of manure***
1.	*Small Poultry Farms*	*Composting*
2.	*Medium & Large Poultry Farms*	*1. Composting or Biogas production for disposal/utilization of manure/litter* *2. Combination of any of the methods for disposal/utilization of manure/litter*
3.	*Poultry Farms in Cluster*	*Common facilities for Biogas production or Composting or their combination"*

15. That the foul odour and breeding of flies, was a significant cause of public nuisance in the nearby areas. This also caused air pollution due to generation of Ammonia (NH3) and Hydrogen Sulphide (H2S), which emanates from excreta generated from the chickens. This was due to lack of

measures and violation of Environmental Guidelines 2022 for Poultry Farms by Central Pollution Control Board.

"6.0 Environmental Guidelines for Poultry Farms:
6.1 Gaseous emission (NH3 & H2S) and Feed Mill Dust(i) Minimization of odour/gaseous pollution:

- *Proper ventilation and free flow of air over manure collection points to keep it dry shall be ensured.*
- *Manure should be protected from Run-off water and from unwanted pests/insects.*
- *Carcasses of dead birds shall be promptly collected on regular basis and disposed appropriately without damaging the environment as per the prescribed methods under section 6.2(iii) of the guidelines."*

16. That the Appellant in gross violation of Environmental Guidelines 2022 for Poultry Farms by Central Pollution Control Board, and having scant regard for air pollution, was resorting to open burning of dead chickens at his farm, which not only caused harmful emissions but also create intense foul odour in the nearby area.

The relevant para of the Environmental Guidelines 2022 for Poultry Farms is reproduced herein bellow:

"6.2 Management of solid wastes (Solid Wastes contains Manure/litter, Hatchery Debris and Dead Birds)
(iii) Dead Birds Disposal

The dead birds arising from day-to-day farm activity shall be separated from other live birds promptly and stored in closed containers and disposed of within 24 hours by following any of the disposal methods.

A) Burial Method:

- *The dead birds arising from day-to-day farm activity should be separated from other live birds promptly and should be stored in closed containers / disposed off within 24 hours*
- *The dead bird burial pit shall be of minimum 3 to 4 m in depth and 0.8 to 1.2 m diameter and this size may*

vary as per the capacity of poultry farm and shall be located above minimum 3 m from the ground water table.

- *The dead bird burial pit shall be provided with a vermin/fly proof cover made up of wooden / metal / concrete having a central operable lid of proper size for day to day dropping of carcasses.*
- *Carcasses shall be covered by a thin layer of soil (at least 40 cm deep) along with calcium hydroxide.*
- *When the pit is full, a compacted soil cover of 0.5 m shall be provided with the top of the covered soil well above the ground level.*
- *The distance between any two burial pits should not be less than 1 m.*

B) Composting:

- *The composting facility shall not be located within 300 m from the nearest dwelling and 100 m from any well or water course.*
- *The capacity of the composting facility shall be sufficient to handle the average mortalities on the farm.*
- *The roof of the composting facility shall be permanent with concrete bottom.*
- *The composting facility shall be secured with link mesh all around raised to a height of 1.5 m above the ground level to avoid the predation by straw dogs etc.*
- *A proper mixture of smaller and larger particle sizes to obtain an optimum air exchange within the mixture and build-up of temperature.*
- *Moisture content of the composting pile shall be approximately 60%. More than this may result in odour problems and less than this will reduce the efficiency of the composting process.*
- *Moisture content of the composting pile shall be approximately 60%. More than this may result in odour problems and less than this will reduce the efficiency of the composting process.*
- *The optimum temperature for composting is 54 to 66oC which pasteurizes the compost. If temperature falls below 49oC after a week or so, the material should be moved to the secondary stage unit. To facilitate the*

easy transfer of the first stage material to the secondary stage, the proper designing of the primary stage (first stage) facility is desirable as illustrated in figure 5.5. Failure to do so will result into poor compost. The temperature in the secondary stage unit will begin to raise as beneficial bacterial activity begins and will peak in 5 to 10 days."

17. That the brief para wise comments to the Appeal are annexed herewith and marked as **Annexure R4/6.**

In the light of the aforesaid facts and circumstances, it is humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may be please to dismiss the present Appeal, while confirming the Closure Order.

Respondent No. 4/5
Uttar Pradesh Pollution Control Board

Through

Amit Shukla
Advocate for the UPPCB
For LEXWEB
Advocates & Legal Advisors
Office at: D-54, Sector 48, NOIDA 201301
Email: amitshukla@lexweb.in
Ph. No. +919999933220 ; 9999333220

Place: New Delhi
Date: 16.02.2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO. 77 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Attan Miya ...Appellant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. ...Respondents

AFFIDAVIT

Affidavit of Shashi Vindkar, aged about 42 year, Regional Officer, UPPCB, Unnao, Uttar Pradesh.

I, the above-named deponent do hereby solemnly affirm and state as under:

1. I say that I am Regional Officer of the Respondent in the present case and as such being conversant with the facts and circumstances of the present case, am competent to swear this affidavit.
2. That I have gone through the contents of the accompanying reply to the Appeal and the contents of the same are true and correct as per my knowledge based on record and legal knowledge obtained.
3. That the Annexures annexed to the present accompanying reply are true copies of their respective original.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Unnao on this the 23 day of February 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

11

मैं शशि विंदकर
को जानता व पहचानता हूँ ...
मेरे समक्ष हस्ताक्षर / निशान ...

SHIVAM SINGH Advocate
Reg. No. UP04421/20
C.O.P. No. 204786
Mob.No. 9044638616

2665

शपथ पत्र प्रमाणित
समय ...
शपथ कर्ता ... शशि विंदकर
पहचान कर्ता ... शिवम सिंह एड0
शुल्क ...
शपथ आयुक्त
दिनांक 23-2-25

Manikant Singh Rajpoot
Advocate-Unnao
Reg. No.-UP8091/11 (C.O.P.-170916)
Mobile-9621402711

शपथ आयुक्त
दिनांक 23-2-25

Annexure R4/1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ सं0 H34014 /सी-5/वायु-166/2025 दिनांक 29/10/2025

पंजीकृत

सेवा में,

श्री अत्तन मिया द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म,
ग्राम--रहीमाबाद, तहसील--सफीपुर, थाना--आसीवन,
जनपद--उन्नाव।

यह कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम--रहीमाबाद, तहसील--सफीपुर, थाना--आसीवन, जनपद--उन्नाव द्वारा लेयर फार्मिंग के माध्यम से लगभग 28,000 मुर्गियों से अण्डा लगभग 25,000 प्रतिदिन का उत्पादन कार्य करते हुए उक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जिसे वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच 33492/सी-5/वायु-166/2025 दिनांक 14.10.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके कम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 24.10.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय लेयर पोल्ट्री फार्म के प्रतिनिधि के रूप में मो0 असद, सुपरवाइजर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पाई गयी। इकाई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 के अनुपालन में अपना उत्तर प्रेषित नही किया गया है।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय लेयर फार्म में मृत मुर्गियों के निस्तारण हेतु एक नग सीमेन्टेड टैंक मुर्गी फार्म परिसर में स्थापित पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मृत मुर्गियों को टैंक में डालकर नमक आदि मिलाकर निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में टैंक में पानी भर जाने के कारण मृत मुर्गियों को लेयर फार्म परिसर में ही खुले में ओवरहेड सीमेन्टेड टैंक के अन्दर जला दिया जाता है। निरीक्षण के समय खुले में ओपेन सीमेन्टेड टैंक जमीन के ऊपर स्थापित पाया गया। जिसमें मरी हुयी मुर्गियों को रखा गया था। लेयर फार्म प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रात में मृत मुर्गियो का जला दिया जायेगा। मृत मुर्गियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले दुर्गन्ध एवं धुए आदि के नियन्त्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयीं। निरीक्षण के समय लेयर फार्म के संचालन से जनित सालिड वेस्ट (मुर्गियों की बीट इत्यादि) को पोल्ट्री फार्म के नीचे भण्डारित किया जाता पाया गया, जिससे दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी। निरीक्षण के समय साफ-सफाई की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी।

NEE II 30/10

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई से दुर्गन्ध/मक्खियों के उत्पन्न होने से मौके पर पब्लिक न्यूसेंस की समस्या व्याप्त पायी गयी। निरीक्षण के समय आस-पास के क्षेत्र के लोग एकत्रित हो गये एवं उनके द्वारा लेयर फार्म को बन्द कराये जाने हेतु नारे बाजी की गयी। मौके पर एकत्रित भीड में उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध अत्यन्त रोष व्याप्त पाया गया। उक्त लेयर पोल्ट्री फार्म इकाई के विरूद्ध आई0जी0आर0एस0 एवं विभिन्न माध्यमो से शिकायते प्राप्त है। उक्त इकाई के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, तहसील-सफीपुर, उन्नाव के न्यायालय में मुकदमा संख्या टी202510690308918 विचाराधीन है।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार लेयर फार्म इकाई स्थल से लगभग 180 मीटर की दूरी पर ग्राम रहीमाबाद की आबादी स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जनवरी–2022 में पोल्ट्री फार्म के लिये गाइड लाइन जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मी0 की दूरी पर होनी चाहिए। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म इकाईयो के सम्बन्ध मे जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms बिन्दु संख्या–7 में निर्धारित साईटिंग काइटेरिया के अनुरूप लेयर फार्म का स्थल उपयुक्त नही है। निरीक्षण के समय इकाई में 10, 30 एवं 40 के.वी.ए. क्षमता का 03 नग डी0जी0 सेट स्थापित पाये गये। डी0जी0 सेट से जनित फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु चिमनी मानकों के अनुरुप स्थापित नही पायी गयी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms के अन्तर्गत निर्धारित Gaseous emission (NH_3 & H_2S), Odour control Management of Solid wastes (Manure handling, Hatchery waste & Dead Waste disposal) नियन्त्रण/निस्तारित हेतु कोई वैज्ञानिक व्यवस्था लेयर फार्म में स्थापित नही पायी गयी। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्र संख्या–645/एन0ओ0सी0–1991/2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि करते हुए निम्नवत् बन्दी आदेश जारी किया जाता है–

1. श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव को निर्देशित किया जाता है कि बन्दी आदेश की प्राप्ति उपरान्त जीवित पक्षियों को निकालना सुनिश्चित करें।
2. श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।
1. सक्षम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाये श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल बन्द किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 29-10-2025
18:30:36

प्रभारी, वृत्त–6

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को श्री ... तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन,

(3)

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव की विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव की जल आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि कोई अनुज्ञा प्रदान की गयी हो तो उसे निरस्त करते हुए श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव से जीवित पक्षियों को तत्काल उक्त परिसर से बाहर निकलवाकर बन्दी आदेश सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी, वृत्त–5

Annexure R4/2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0 / Ref.No. 536 / 2025 / 1770-01 / v-11 दिनांक / Date- 12 / 09 / 2025

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय-श्री अत्तन मियां, द्वारा ग्राम-रहीमाबाद तहसील-सफीपुर थाना आसीवन जनपद-उन्नाव में पोल्ट्री फार्म के संचालन से ग्राम वासियों को हो रही परेशानी के संबंध में शिकायत जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव एवं उपजिलाधिकारी सफीपुर के कार्यालय से इस कार्यालय में दिनांक 01.09.2025 एवं दिनांक 03.09.2025 को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अत्तन मियां, द्वारा ग्राम-रहीमाबाद तहसील-सफीपुर थाना आसीवन जनपद-उन्नाव में पोल्ट्री फार्म के संचालन से ग्राम वासियों को हो रही परेशानी के संबंध में शिकायत जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव एवं उपजिलाधिकारी सफीपुर के कार्यालय से इस कार्यालय को प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनांक 01.09.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है पोल्ट्री फार्म में लगभग 28000 मुर्गियां पायी गयी उक्त मुर्गियों से लगभग प्रतिदिन 25000 अण्डा उत्पादन होता है। लेयर फार्म से लगभग 180मी0 की दूरी पर ग्राम-रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी। लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी तथा मक्खियां आदि जनित हो रही थी। लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नही पायी गयी। जिससे आस-पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक है। मृत मुर्गियों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने से कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट मनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय पोल्ट्री लेयर फॉर्मिंग से दुर्गन्ध/मक्खीयों के दृष्टिगत मौके पर पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या पायी गयी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500मी0 की दूरी पर होनी चाहिए उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म, जारी गाइड लाइन में प्राविधानित माप दण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है।

अतः इस कार्यालय की आख्या मूल रुप से संलग्न कर प्रश्नगत प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
12/09/2025
(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

12/09/2025
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : बी-18/3, आवास कालोनी, उन्नाव-209801, दूरभाष/फैक्स: 0515-2830488, ई-मेल-rounnao@uppcb.in
मुख्यालयः टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, दूरभाष : 0522-2720828, 2720681,फैक्स : 0522-2720764

श्री अत्तन मियां, द्वारा ग्राम–रहीमाबाद तहसील–सफीपुर थाना आसीवन जनपद–उन्नाव में पोल्ट्री फार्म के संचालन से ग्राम वासियों को हो रही परेशानी के संबंध में शिकायत जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव एवं उपजिलाधिकारी सफीपुर के कार्यालय से इस कार्यालय में दिनांक 01.09.2025 एवं दिनांक 03.09.2025 को प्राप्त शिकायत के संबंध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक श्री अत्तन मियां, द्वारा ग्राम–रहीमाबाद तहसील–सफीपुर थाना आसीवन जनपद–उन्नाव के विरूद्ध ग्राम–रहीमाबाद ग्रामवासी गोकुल, राजबहादूर, विक्रम सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, आदि द्वारा की गयी शिकायत जो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय दिनांक 01.09.2025 को प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत के क्रम में शिकायती मुर्गी फार्म का मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं डा0 भूपेन्द्र सिंह उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सफीपुर, उन्नाव के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.09.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है कि– "ग्राम–रहीमाबाद तहसील–सफीपुर थाना आसीवन जनपद–उन्नाव के निवासी है। हमारे गांव में उन्नाव के निवासी अत्तन मियां ने एक बडा पोल्ट्री फार्म खोला है जिससे हमारे गांव व आस–पास के गांवों की मक्खियों का प्रकोप बहुत बढ गया है जिससे गांव में खाना पीना व सोना मुश्किल हो गया है और दुर्गन्ध विषैली हवा इत्यादि गंदगी के कारण विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो गयी है जिससे गांव में काफी संख्या में लोग जान लेवा बीमारी से ग्रसित हो चुके है।"
2. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म में लगभग 28000 मुर्गियां पायी गयी उक्त मुर्गियों से लगभग प्रतिदिन 25000 अण्डा उत्पादन होता है।
3. निरीक्षण के समय लेयर फार्म से लगभग 180मी0 की दूरी पर ग्राम–रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी तथा मक्खियां आदि जनित हो रही थी। लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नही पायी गयी। जिससे आस–पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक है।
4. निरीक्षण के समय मृत मुर्गियों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने से कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। मृत मुर्गियों को खुले में डालने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी। जिससे आस–पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक है।
5. निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट मनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
6. निरीक्षण के समय लेयर फार्म संचालक द्वारा किसी प्रकार के किसी विभाग से लाइसेंस/अनुमति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट है की लेयर फार्म की स्थापना से पूर्व या संचालन हेतु किसी भी विभाग से कोई एन0ओ0सी0/लाइसेंस नही प्राप्त किया गया है।
7. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा गांव के पास स्थापित किये गये लेयर फार्म को बंद कराये जाने एवं ग्राम वासियों के स्वास्थ के ऊपर पड़ रहे विपरीत प्रभाव जैसे दुगर्न्ध, मक्खियां आदि को तत्काल रोक लगाई जाये। निरीक्षण के समय लेयर फार्म के विरूद्ध ग्राम वासियों द्वारा हुर जोर तरीके से संगठित होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तथा पोल्ट्री लेयर फॉर्मिंग से दुर्गन्ध/मक्खीयों के दृष्टिगत मौके पर पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या पायी गयी।
8. कुक्कुट नीति–2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए गाइड लाइन जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500मी0 की दूरी पर होनी चाहिए उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म, जारी गाइड लाइन एवं कुक्कट नीति में प्राविधानित माप दण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार लेयर फार्म के समीप आबादी होने के कारण लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध एवं मक्खियों से ग्रम वासियों पर पडने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते करते हुए लेयर फार्म के विरूद्ध भारतीय नागरिक दण्ड संहिता की धारा 152 (पब्लिक न्यूसेंस) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ कुक्कट नीति–2013 के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

11/09/2025
(वीरेन्द्र कुमार)
अवर अभियंता

11/09/25
डा0 भूपेन्द्र सिंह
उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

11/9/25
डा0 महावीर सिंह
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सादर प्रस्तुत।
AEE/R.O. [illegible]

17

Annexure R4/3

C/25122/2025-CIRS-UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ सं0 1133492 /सी-5/वायु-166/2025 दिनांक 14/10/25
पंजीकृत

सेवा में,

श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म,
ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन,
जनपद–उन्नाव। मो. नं. 7054519715

यह कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव द्वारा लेयर फार्मिंग के माध्यम से लगभग 28,000 मुर्गियों से अण्डा लगभग 25,000 प्रतिदिन का उत्पादन कार्य करते हुए उक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(के) के अन्तर्गत एक इकाई है।

यह कि पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के कम में पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, एवं उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सफीपुर, उन्नाव के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.09.2025 को किया गया।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय लेयर फार्म से लगभग 180 मी0 की दूरी पर ग्राम–रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी तथा मक्खियां आदि जनित हो रही थी। लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नही पायी गयी, जिससे आस–पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी।

यह कि निरीक्षण के समय लेयर फार्म संचालक द्वारा किसी विभाग से लाइसेन्स/अनुमति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि लेयर फार्म की स्थापना से पूर्व या संचालन हेतु किसी भी विभाग से कोई एन.ओ.सी./लाइसेन्स नही प्राप्त किया गया है। कुक्कुट नीति–2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डो को पूर्ण नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिये गाइड जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मी0 की दूरी पर होनी चाहिए। उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन एवं कुक्कुट नीति में प्राविधानित मापदण्डों के अनुसार स्थापित नही किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्र संख्या–536/2025/सा0–01/वी–II दिनांक 12.09.2025 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत निम्नवत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है–

1. यह कि क्यों न श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

UPPCB-CRCLOMISC/25122/2025-CIR5-UPPCB   1/3C8296/20

(2)

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाये श्री अत्तन मियां द्वारा सचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव मे संचालित आटा चक्की, चावल एव तेल उद्योग को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल बन्द कर दिया जाये।

उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 13-10-2025
16:02:23

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–5)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–5)

Annexure No. R4/4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0 / Ref.No. 645 / एन0ओ0सी0–1691 / 2025 दिनांक / Date–29 / 10 / 2025

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम रहीमाबाद, थाना–आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव को बोर्ड मुख्यालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त इकाई को राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 33492 / सी–5 / वायु–166 / 2025 दिनांक 14.10.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में प्रश्नगत इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.10.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रश्नगत इकाई को जारी कारण बताओं नोटिस पोल्ट्री फार्म के प्रतिनिधि मो0 असद, सुपरवाइजर, मोबाइल नं0–8707757209 को मौके पर तामीला करा दिया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर प्रश्नगत लेयर फार्म इकाई द्वारा प्रतिउत्तर इस क्षेत्रीय कार्यालय को अद्यतन तक प्राप्त नहीं है तथा लेयर पोल्ट्री फार्म में बदबू / मक्खियो के नियन्त्रण के लिए वैज्ञानिक निस्तारण की कोई व्यवस्था नही पायी गयी। उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, तहसील–सफीपुर, उन्नाव के न्यायालय में मुकदमा संख्या टी202510690308948 विगत माह में दायर किया गया है। प्रश्नगत इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms के अन्तर्गत निर्धारित Gaseous emission (NH_3 & H_2S), Odour control Management of Solid wastes (Manure handling, Hatchery waste & Dead Waste disposal) नियन्त्रण / निस्तारण हेतु कोई वैज्ञानिक व्यवस्था स्थापित / कार्यरत नही है। प्रश्नगत इकाई द्वारा राज्य बोर्ड के कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 में दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन किया जाता नही पाया गया।

अतः निरीक्षण आख्या मूलरूप से संलग्नकर उक्त लेयर पोल्ट्री फार्म को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम रहीमाबाद, थाना–आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच33492/सी–5/वायु–166/2025 दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 के संबंध में निरीक्षण आख्या।

संदर्भित पोल्ट्री फार्म को राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 के अनुपालन में पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक–24.10.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय लेयर पोल्ट्री फार्म के प्रतिनिधि के रूप में मो0 असद, सुपरवाइजर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उक्त लेयर पोल्ट्री फार्म इकाई संचालित पायी गयी। उपस्थित लेयर पोल्ट्री फार्म प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर वितृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्म है। जिसमें मुर्गियों को पालकर अण्डा उत्पादन का कार्य किया जाता है। उक्त लेयर फार्म ग्राम रहीमाबाद, थाना आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद उन्नाव में स्थापित एवं संचालित है।
2. उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध पूर्व में शिकायत जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव एवं उपजिलाधिकारी, तहसील सफीपुर, उन्नाव के कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त हुयी थी। प्राप्त शिकायत के क्रम उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में शिकायती पोल्ट्री फार्म का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.09.2025 को किया गया था। विस्तृत संयुक्त निरीक्षण आख्या कार्यालय के पत्र संख्या 536/2025/सा–01/पट–11 दिनांक 12.09.2025 के माध्यम से शिकायती पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानो के अन्तर्गत पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी थी। उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच33492/सी–5/वायु–166/2025 दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
3. उक्त लेयर फार्म इकाई द्वारा आनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन निवेशमित्र पोर्टल पर दिनांक 04.10.2025 को किया गया था। आनलाइन अनापत्ति आवेदन पत्र के अनुसार उक्त लेयर फार्म मेसर्स बर्लिंग्टन लेयर फार्म, गाटा नं0 431 ग्राम रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, जिला–उन्नाव द्वारा 30000 बर्ड पालन एवं 29000 अण्डा/दिन उत्पादन तथा पोल्ट्री फीट 90 एम0टी0/दिन हेतु आवेदन किया गया था। आनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रेषित/आनलाइन अपलोड पार्टनीशिप डीड दिनांक 16.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार लेयर फार्म के संचालकगण श्री जमीलुर्रहमान सिद्दीकी पुत्र श्री हाफिजुर्रहमान, श्री फजूर्लरहमान सिद्दीकी पुत्र हाफिजुर्रहमानएवं श्री उबैर्दुहमान पुत्र शफीकुर्रहमान सिद्दीकी है। उक्त स्थापना सहमति आवेदन पत्र को राज्य बोर्ड के ऑनलाइन संदर्भ सं0–251806/UPPCB/Unnao(UPPCBRO)/ CTE/UNNAO/2025 दिनांक 09.10.2025 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।
4. निरीक्षण के समय प्रश्नगत लेयर फार्म इकाई को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 को इस कार्यालय के पत्र सं0–621/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक 14.10.2025 के साथ संलग्न कर निरीक्षण के समय लेयर फार्म पर उपस्थित प्रतिनिधि मो0 असद, सुपरवाइजर, मोबाइल नं0–8707757209 को प्राप्त करते हुए तामीला करा दिया गया है (छायाप्रति संलग्न है)। बोर्ड मुख्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 का प्रत्तिउत्तर प्रश्नगत लेयर फार्म इकाई द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को आज दिनांक तक प्राप्त नही है।
5. निरीक्षण के समय लेयर फार्म में मृत मुर्गीयो के निस्तारण हेतु एक नग सीमेन्टेड टैंक मुर्गी फार्म परिसर में स्थापित पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मृत मुर्गियों को टैंक में डालकर नमक आदि मिलाकर निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में टैंक में पानी भर जाने के कारण मृत मुर्गियों को लेयर फार्म परिसर में ही खुले में ओवरहेड सीमेन्टेड टैंक के अन्दर जला दिया जाता है। निरीक्षण के समय खुले में ओपेन सीमेन्टेड टैंक जमीन के ऊपर स्थापित पाया गया। जिसमें मरी हुयी मुर्गियों को रखा गया था। लेयर फार्म प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रात में मृत मुर्गियो का जला दिया जायेगा। मृत मुर्गियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले दुर्गन्ध एवं धुए आदि के नियन्त्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी।
6. निरीक्षण के समय लेयर फार्म के संचालन से जनित सालिड वेस्ट (मुर्गियों की बीट इत्यादि) को पोल्ट्री फार्म के नीचे भण्डारित किया जाता पाया गया जिससे दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी। निरीक्षण के समय साफ–सफाई की व्यवस्था

उचित नहीं पायी गयी तथा लेयर फार्म से दुर्गन्ध/मक्खियों के उत्पन्न होने से मौके पर पब्लिक न्यूसेंस की समस्या व्याप्त पायी गयी। निरीक्षण के समय आस-पास के क्षेत्र के लोग एकत्रित हो गये एवं उनके द्वारा लेयर फार्म को बन्द कराये जाने हेतु नारे बाजी की गयी तथा बन्द न कराये जाने की दशा में उनके द्वारा न्यायालय भी जाने को कहा गया। मौके पर एकत्रित भीड में उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध अत्यन्त रोष व्याप्त पाया गया। उक्त लेयर पोल्ट्री फार्म इकाई के विरूद्ध आई0जी0आर0एस0 एवं विभिन्न माध्यमो से शिकायते प्राप्त है।

7. उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, तहसील-सफीपुर, उन्नाव के न्यायालय में मुकदमा संख्या टी202510690308948 विगत माह में दायर किया गया है जो विचाराधीन है।
8. निरीक्षण के समय लेयर फार्म में अण्डा देने वाली मुर्गियां को रखने हेतु 02 नग शेड क्षमता 15000/शेड स्थापित पायी गयी। उपस्थित प्रतिनिधि से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 22000 अण्डा देने वाली मुर्गिया फार्म में है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लेयर फार्म में 30000 लेयर मुर्गियो के रखने की क्षमता है।
9. प्रश्नगत लेयर फार्म इकाई स्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ग्राम रहीमाबाद की आबादी स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म इकाईयो के सम्बन्ध में जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms बिन्दु संख्या-7 में निर्धारित साईटिंग काइटेरिया के अनुरूप लेयर फार्म का स्थल उपयुक्त नही है।
10. निरीक्षण के समय प्रश्नगत लेयर फार्म में 10, 30 एवं 40 के0वी0ए0 क्षमता का 03 नग डी0जी0 सेट स्थापित है। डी0जी0 सेट जनित फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु चिमनी मानकों के अनुरूप स्थापित नही पायी गयी है।
11. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms के अन्तर्गत निर्धारित Gaseous emission (NH_3 & H_2S), Odour control Management of Solid wastes (Manure handling, Hatchery waste & Dead Waste disposal) नियन्त्रण/निस्तारित हेतु कोई वैज्ञानिक व्यवस्था लेयर फार्म में स्थापित नही पायी गयी।
12. निरीक्षण के समय लेयर फार्म के विभिन्न स्थलों के लिए गये फोटोग्राफ निम्नवत् है-

मृत मुर्गीयों को खुले में जलाते हुए।

मृत मुर्गीयों को खुले में जलाते हुए।

सॉलिड वेस्ट (मुर्गियों की बीट्स इत्यादि) को खुले में भण्डारित करते हुए

सॉलिड वेस्ट (मुर्गियों की बीट्स इत्यादि) को खुले में भण्डारित करते हुए

लेयर फार्मिंग में मक्खिया

कारण बताओ नोटिस की प्रति तामीला कराते हुए

लेयर फार्म में स्थापित डी0जी0 सेट

लेयर फार्म में स्थापित डी0जी0 सेट

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रश्नगत लेयर फार्म इकाई को राज्य बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार

(बीरेन्द्र कुमार)
अवर अभियंता

(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Annexure R4/5

नकल हस्तलिपि आदेश दि. 16.10.2025 व निरीक्षण आख्या दि. 11.09.2025 वाद सं. टी 202510690308948 धारा-152 भा० ना० सु० सं० 2023, सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद, ग्राम रहीमाबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव, उपजिलाधिकारी सफीपुर जनपद उन्नाव

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्टी फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

ग्राम– रहीमाबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव

सरकार

बनाम

अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी तहसील सफीपुर जनपद उन्नाव की आख्या दिनांक 11–09–2025 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी तहसील सफीपुर जनपद उन्नाव ने अपनी आख्या में दर्शाया है कि पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम रहीमाबाद तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव के निवासी है, हमारे गांव में उन्नाव के निवासी अत्तन मियां ने एक बडा पोल्ट्री फार्म खोला है जिससे हमारे गांव व आस–पास के गांवों में मक्खियों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है जिससे गांव में खाना पीना व सोना मुश्किल हो गया है और दुर्गन्ध विषैली हवा इत्यादि गंदगी के कारण विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो गया है जिससे गांव में काफी संख्या में लोग जान लेवा बीमारी से ग्रसित हो चुके है, प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म में लगभग 28000 मुर्गिया पायी गयी, उक्त मुर्गियों से लगभग प्रतिदिन 25000 अण्डा उत्पादन होता है, निरीक्षण के समय लेयर फार्म से लगभग 180मी0 की दूरी पर ग्राम रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी, लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों की बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही है तथा मक्खियां आदि जनित हो रही थी, लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी जिससे आस–पास ग्रामवासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वभाविक है, निरीक्षण के समय मृत मुर्गियों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने से कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, मृत मुर्गियों को खुले में डालने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी जिससे आस–पास ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडना स्वभाविक है, लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, निरीक्षण के समय लेयर फार्म संचालक द्वारा किसी प्रकार के किसी विभाग से लाइसेन्स/अनुमति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट है कि लेयर फार्म की स्थापना से पूर्व या संचालन हेतु किसी भी विभाग से कोई एन0ओ0सी0/लाइसेंस नहीं प्राप्त किया गया है। निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामवासियों

उप जिला मजिस्ट्रेट सफीपुर तहसील–उन्नाव

OATH COMMISSIONER HIGH COURT ALLAHABAD

File No. ...JPI CB-...W/UHCCC/2348/2025-LAW-UPPCB (Computer No. 692932)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025 .

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

---2---

द्वारा गांव के पास स्थापित किये गये लेयर फार्म को बंद कराये जाने एवं ग्रामवासियों के स्वास्थ के ऊपर पड़ रहे विपरीत प्रभाव जैसे दुर्गन्ध, मक्खियां आदि को तत्काल रोक लगाई जाये, ग्रामवासियों द्वारा लेयर फार्म के विरूद्ध हुए जोर तरीके से संगठित होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तथा पोल्ट्री लेयर फॉर्मिंग से दुर्गन्ध/मक्खियों के दृष्टिगत मौके पर पब्लिक न्यूसेन्स की समस्यां पायी गयी, कुक्कुट नीति–2023 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए गाइड लाइन जारी की गयी है, जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500मी0 की दूरी पर होनी चाहिए, उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म जारी गाइड लाइन एवं कुक्कुट नीति में प्राविधानित माप दण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है, लेयर फार्म के समीप आबादी होने के कारण लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध एवं मक्खियों से ग्राम वासियों पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए लेयर फार्म के विरूद्ध भारतीय नागरिक दण्ड संहिता की धारा 152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ कुक्कुट नीति–2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है। वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने के उपरान्त दिनांक 18.09.2025 को सशर्त आदेश अन्तर्गत धारा–152(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निर्गत किया गया तथा प्रतिवादी पक्ष को जन सामान्य के हित में उपरोक्त मुर्गियों की बीट खुले में भण्डारित करना बन्द करने जिससे मक्खियां आदि जनित न हो तथा मृत मुर्गियों को खुले में न डाला जाये तथा लेयर फार्म में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया तथा दिनांक 25.09.2025 को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 25.09.2025 को ग्राम प्रधान व प्रतिवादी अत्तन मियां जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा प्रतिवादी अत्तन मियां की ओर से जवाब दाखिल करने हेतु अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा ग्राम प्रधान द्वारा नवरात्रि के दृष्टिगत साफ सफाई कराये जाने की मांग किये जाने पर प्रतिवादी अत्तन मियां को साफ सफाई इत्यादि के दृष्टिगत कृत कार्यवाही व जवाब हेतु अगली तिथि 08.10.2025 नियत की गयी। दिनांक 08.10.2025 को प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली वास्ते जवाब संतोष कुमार व सुनवाई हेतु नियत की गयी। दिनांक 08.10.2025 को संतोष कुमार ग्राम प्रधान रहीमाबाद की ओर से प्रतिवादी के जवाब दिनांकित 08.10.2025 के

255

File No. ...

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अत्तन मियाँ उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

--3--

विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा प्रतिवादी अत्तन मियां की ओर से साक्ष्य में पेन ड्राइव प्रस्तुत की गयी तथा प्रकरण से सम्बन्धित अवर अभियन्ता, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रक अधिकारी व उप पशु चिकित्साधिकारी सफीपुर जनपद उन्नाव की निरीक्षण आख्या दिनांकित 03.10.2025 पत्रावली पर संलग्न की गयी तथा पत्रावली वास्ते जवाब निरीक्षण आख्या दिनांकित 03.10.2025 व सुनवाई हेतु नियत की गयी।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद पत्रावली का विधिवत् परिशलीन किया। प्रतिवादी अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान के अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी का अपनी संक्रमणीय भूमिधरी नम्बर 431 रकबा 1.908हे0 स्थित ग्राम रहीमाबाद में पोल्ट्री फार्म कई वर्षो पूर्व से आबादी से 500 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित है, मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव ने जिलाधिकारी उन्नाव को अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.10.2024 को प्रस्तुत पत्रांक संख्या 1197/आई0जी0आर0एस0 2024-25 दिनांक 19.10.2024 को प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें निर्देश जारी कर एन0ओ0सी0 दी गयी थी, प्रतिवादी द्वारा पोल्ट्री किसानों की फार्मिंग को जिला पंचायत द्वारा लाइसेन्स टैक्स व नक्शा के संबंध में शासनादेश संख्या 2607/332-2023 दिनांक 20.11.2023 पंचायती राज अनुभाग-2 में उल्लेख किया गया है पोल्ट्री फार्मिंग में जिला पंचायतों द्वारा लाइसेन्स, टैक्स व नक्शा स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है पर व्यवसाय कृषि का एक अंग है, जिला पंचायतों में इन प्रयोजनों में लगे कृषिकों से इस विषय में कोर्ट नोटिस नहीं देगा और न कोई टैक्स वसूलेगा, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के बीट को खाद बनाने/व्यवसाय करने वाले लोग व किसान अपने खेते के उपजाऊ के लिए प्रतिदिन बीट उठाते है लिहाजा लगाये गये आरोप बीट का भन्डारण के संबंध में गलत एवं निराधार है, अगर बीट का भन्डारण किया जायेगा तो मुर्गियों की बीमारी का प्रकोप ज्यादा रहता है इसलिए मुर्गियों के बीट का भन्डारण नहीं होता है, किसी कारण वश मुर्गियों के मार जाने के पश्चात् उनको हीटिंग मशीन द्वारा नष्ट कर दिया जाता है जिससे कोई बीमारी और मुर्गियो को क्षति न पहुचे इसलिए लगाये गये आरोप गलत एवं निराधार है, पोल्ट्री फार्मिंग में व उसके आस पास क्षेत्रों में प्रतिदिन पशु चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दवाओ का छिडकांव किया जाता रहता है जिसकी प्रतिदिन दवाओ का एक रजिस्टर है और लगे हुए सी0सी0 कैमरो जो पोल्ट्री फार्म में लगे है देखा जा सकता है, हीटिंग मशीन की फोटो जवाब के साथ संलग्न की गयी है, पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय बहुत ही साफ सफाई रखने का होता है चूंकि कोई इन्फेक्शन न हो सके इसलिए बाहरी व्यक्तियों के लिए पोल्ट्री फार्म में आना सख्त मना है परन्तु शासन की नीति के खिलाफ/दिशा निर्देश के

296

File No.

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अस्लम मियां उर्फ अताउर्रहमान सिददीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

---4---

खिलाफ आये दिन प्रधान अपने दस बीस साथियो को लेकर पोल्ट्री फार्म में घुस आते है और उधमबाजी करते है जिससे पोल्ट्री फार्म के कर्मचारी व मुर्गियो के बच्चो को क्षति पहुंचती है इन्फेक्सन का खतरा बढ जाता है, संचालित हो रहे पोल्ट्री फार्म में डाक्टरों की उपस्थिति में दवाओं का छिडकाव किया जाता है, इसी से सम्बंधित प्रतिवादी ने एक रिट याचिका संख्या 9611/2025 एम/एस मलिगढन लेयर फर्म अताउर्रहमान बनाम उत्तर प्रदेश आदि मा० उच्च न्यायालय लखनऊ 1905 पी० लखनऊ में विचाराधीन है, उपरोक्त वाद में दी गयी नोटिस गलत निराधार मानकर वापस ली जाये अथवा मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के निस्तारण तक प्रस्तुत वाद स्थापित किया जाये।

ग्राम प्रधान संतोष कुमार के अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी का पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद में संचालित है जिसकी आबादी से दूरी 180 मीटर है जो कि मानक विहीन है तथा केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए गाइड लाइन जारी की गयी है, जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिये, उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म जारी गाइड लाइन एवं कुक्कुट नीति के प्राविधानित मापदण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है इसलिए पोल्ट्री फार्म जनहित में बन्द कराये जाने योग्य है, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सफीपुर द्वारा दिनांक 02.09.2025 को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया है जिसमें उक्त पोल्ट्री फार्म के संचालन में कई कमियां पाई गयी है जिसमें पोल्ट्री फार्म से आबादी की दूरी 180 मीटर पाई गयी है जो मानक विहीन है तथा निरीक्षण के समय मृत मुर्गियो के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने की कोई व्यवस्था नहीं पाई गयी जिससे उक्त मुर्गियो को खुले में डालने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही है जिससे ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियन्त्रण तथा जनित सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गयी जिससे स्पष्ट है कि पोल्ट्री फार्म मानक विहीन है जिसे जनहित में बन्द किया जाना अति आवश्यक है, निरीक्षण में पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा किसी प्रकार के किसी विभाग के लाइसेन्स/अनुमति, सम्बन्धित दस्तावेज नहीं दिखाये गये है जिससे स्पष्ट है कि उक्त पोल्ट्री फार्म बिना किसी एन0ओ0सी0 या लाइसेन्स के चल रहा है, उक्त पोल्ट्री फार्म की बीट की सफाई नहीं की जा रही है जिससे दुर्गन्ध के कारण ग्रामवासी परेशान है गंदगी के कारण ग्रामवासियों में कई प्रकार के रोग फैल रहे है जिस कारण से उक्त पोल्ट्री फार्म को बन्द करवाया जाना अति

197

File No. ...II-LAW/HCCC/2348/2021-LAW-UPPCB (Computer No. ......)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

आवश्यक है. उक्त पोल्ट्री फार्म में मृत मुर्गियों को नष्ट करने के लिए कोई हीटिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है. मुर्गियों के सडने से कई प्रकार की घातक बीमारियों के फैलने का डर है एवं मक्खियों के प्रकोप से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में रोग फैलने का अत्यधिक खतरा है एवं बच्चों की मानसिक स्थित पर गलत असर पड रहा है इसलिए उक्त पोल्ट्री फार्म का संचालन तुरन्त बन्द कराया जाना अति आवश्यक है. मृत मुर्गियों को रडले में जलाया जाता है व पास के तालाब में फेंक दिया जाता है. उक्त पोल्ट्री फार्म में पशु चिकित्साधिकारी के दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कभी कोई दवा का छिडकाव नहीं किया गया है जिसे पशु चिकित्साधिकारी द्वारा दी गयी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण में कोई भी हीटिंग मशीन नहीं पायी गयी, उक्त पोल्ट्री फ़ार्म संचालक द्वारा ग्राम प्रधान के विरूद्व गलत आरोप लगाया गया है जिसकी सत्यतता की जॉच सी0सी0टी0वी0 कैमरा से की जा सकती है, ग्रामवासियों की शिकायत पर ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि उक्त पोल्ट्री फार्म से ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं बच्चों के स्वास्थ के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है इसलिए उक्त पोल्ट्री फार्म को बन्द कराया जाये, इस बात को लेकर ही पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा ग्राम प्रधान पर झूठे निराधार आरोप लगाये जा रहे है, लेयर फार्म के समीप आबादी होने के कारण लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध एवं मक्खियों से ग्रामवासियों एवं बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए लेयर फार्म के विरूद्व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के साथ कुक्कुट नीति 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के साथ साथ उक्त पोल्ट्री फार्म बन्द किये जाने का आदेश पारित किया जाये।

निरीक्षण आख्या दिनांकित 11.09.2025 में उल्लिखित है कि--

1- पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम-रहीमाबाद तहसील-सफीपुर थाना आसीवन जनपद-उन्नाव के निवासी है। हमारे गांव में उन्नाव के निवासी अत्तन मिया ने एक बड़ा पोल्ट्री फार्म खोला है जिससे हमारे गांव व आस-पास के गांवों की मक्खियों का प्रकोप बहुत बढ गया है जिससे गांव में खाना पीना व सोना मुश्किल हो गया है और दुर्गन्ध विषेली हवा इत्यादि गंदगी के कारण विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो गयी है जिससे गांव में काफी संख्या में लोग जान लेवा बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं।

उप जिला मजिस्ट्रेट सफीपुर जनपद-उन्नाव

File No. UPPCB-LAW0HCCC/2348/2025-LAW-UPPCB (Computer No. 692332)
Generated from eOffice by SURYA BHAN RAM, JA(SBR)-CS-UPPCB, JUNIOR ASSISTANT, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD on ...

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अहसन मियाँ उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

—6—

2– प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म में लगभग 28000 मुर्गियां पायी गयी उक्त्त मुर्गियों से लगभग प्रतिदिन 25000 अण्डा उत्पादन होता है।

3– निरीक्षण के समय लेयर फार्म से लगभग 180 मी० की दूरी पर ग्राम-रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी तथा मक्खियां आदि जनित हो रही थी। लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नही पायी गयी। जिससे आस-पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक है।

4– निरीक्षण के समय मृत मुर्गियों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने से कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। मृत मुर्गियों को खुले में डालने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी। जिससे आस-पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक है।

5– निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट मनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।

6– निरीक्षण के समय लेयर फार्म संचालक द्वारा किसी प्रकार के किसी विभाग से लाइसेंस/अनुमति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट है की लेयर फार्म की स्थापना से पूर्व या संचालन हेतु किसी भी विभाग से कोई एन०ओ०सी०/ लाइसेंस नहीं प्राप्त किया गया है।

7– निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा गांव के पास स्थापित किये गये लेयर फार्म को बंद कराये जाने एवं ग्राम वासियों के स्वास्थ के ऊपर पड़ रहे विपरीत प्रभाव जैसे दुर्गन्ध, मक्खियां आदि का तत्काल रोक लगाई जाये। निरीक्षण के समय लेयर फार्म के विरूद्ध ग्राम वासियों द्वारा हर ओर तरीके से संगठित होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तथा पोल्ट्री लेयर फॉर्मिंग से दुर्गन्ध/ मक्खीयों के दृष्टिगत मौके पर पब्लिक न्यूसेन्स की समस्या पायी गयी।

8– कुक्कुट नीति-2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म / लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए गाइड लाइन जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500मी० की दूरी पर होनी चाहिए उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म, जारी गाइड लाइन, एवं कुक्कुट नीति में प्राविधानित माप दण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है।

299

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अख्तर मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

—7—

उपरोक्तानुसार लेयर फार्म के समीप आवादी होने के कारण लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध एवं मक्खियों से ग्राम वासियों पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते करते हुए लेयर फार्म के विरुद्ध भारतीय नागरिक दण्ड संहिता की धारा 152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत कार्यवाही किये किये जाने के साथ-साथ कुक्कट नीति-2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त निरीक्षण आख्या दिनांकित 03.10.2025 में उल्लिखित है कि—

1– निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त शिकायती पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म में तथा पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म के आस पास मक्खियो का प्रकोप अभी वैसा ही है जैसा पूर्व निरीक्षण 1 .09.2025 को पाया गया था।

2– प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फॉर्मिंग है। निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म / डेयर फार्म में 28000 मुर्गिया पायी गयी। उक्त मुर्गियों से लगभग 25000 अण्डा उत्पादन किया जाता है।

3– प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म से ग्राम रहिमाबाद की दूरी लगभग 180 मीटर है निरीक्षण के समय मुर्गियों की बीट के निस्तारण की कोई व्यवस्था नही पायी गयी। जनित वैस्ट (मुर्गियों की बीट) को खुले में भण्डारित होता पाया गया जिससे मक्खियां पर्याप्त मात्रा में पायी गयी।

4– पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियन्त्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी।

5– निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मक्खियां में कमी लाने के लिए साइपर मैथरीन दवा का छिड़काव किया जाता है।

6– निरीक्षण के समय मृत मुर्गियां खुले में पायी गयी जिससे दुर्गन्ध तथा मक्खियों होने की सम्भावना है।

7– कुक्कट नीति 2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड को पूर्ण नही किया जा रहा है।

8– प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म द्वारा वर्तमान में सालिड वेस्ट जनित के निस्तारण की समस्या पुर्वानुसार किये गये निरीक्षण के अनुसार ही है। पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म के संचालन द्वारा समस्या के समाधान हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

300

आदेश फलक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:-152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

—8—

9– निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम वासियो द्वारा ग्राम के पास संचालित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म को बन्द किये जाने तथा ग्राम वासियो के स्वास्थ्य के ऊपर पड रहे विपरीत प्रभाव जैस दुर्गन्ध मक्खियाँ आदि को तत्काल रोक लगाये जाने का विरोध किया जाता पाया गया।

10– उपरोक्त के क्रम में पूर्व में दिनांक 01.09.2025 व 03.09.0228 को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से प्रकरण की जांच आख्या दिनांक 11.09.2025 के आधार पर उपजिलाधिकारी, सफीपुर जनपद-उन्नाव में वाद संख्या टी202510690308948 के अन्तर्गत धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म / लेयर फार्म ग्राम रहीमाबाद के विरुद्ध जारी की गयी थी।

11– उपजिलाधिकारी, सफीपुर जनपद-उन्नाव द्वारा पुनः पत्र संख्या 694/अह० फौज०/संयुक्त जांच-पोल्ट्री फार्म / 2025 दिनांक 29.09.2025 को पुनः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उन्नाव व उप मुख्यपशुचिकित्साधिकारी, सफीपुर को पुनः जांच करने हेतु पत्र जारी किया गया उपरोक्त के कम में पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म रहीमाबाद में दिनांक 03.10.2025 को संयुक्त रूप से की गयी जांच में पाया गया की के माध्यम से न्यायालय उपजिलाधिकारी, सफीपुर जनपद-उन्नाव द्वारा धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म संचालक द्वारा तद्द्यदिनांक 03.10.2025 तक कोई भी सुधार नही किया गया है पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थिति पूर्व निरीक्षण दिनांक 11.09.2025 की ही भाँति है।
कुक्कुट नीति 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त विवेचना व प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के परिशीलन के आधार पर निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते है:—

1. ग्राम रहीमाबाद में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद की आबादी से 180 मीटर की दूरी पर स्थित है जब कि गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिये।
2. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है, उक्त पोल्ट्री फार्म में लगभग 28000 मुर्गिया पायी गयी और उक्त मुर्गियों से लगभग 26000 अण्डा प्रतिदिन उत्पादन होता है।

301

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कंम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अत्तन मियाँ उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

--9--

3. लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही है तथा मक्खियां आदि जनित हो रही है।
4. लेयर फार्म में साफ सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण आस पास ग्रामवासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
5. मृत मुर्गियों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी जिससे मृत मुर्गियों को खुले में डाला जा रहा है जिस कारण से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही है जिससे आस पास ग्रामवासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
6. लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियन्त्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट हेतु पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी।
7. पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा कुक्कुट नीति–2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में जारी गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है।
8. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अन्तर्गत वाद योजित होने के उपरान्त प्रतिवादी को नोटिस जारी/तामीला होने के बाद भी उपरोक्त समस्याओं/कमियों के निवारण हेतु पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा कोई पर्याप्त सुधार अमल में नहीं लाया गया, जो कि प्रस्तुत निरीक्षण आख्या दिनांकित 03.10.2025 से स्पष्ट रूप से परिलक्षित है।
9. पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस उपचार न किये जाने के कारण ग्रामवासियों में निरन्तर रोष व्याप्त है तथा ग्रामवासियों द्वारा संगठित रूप से उक्त पोल्ट्री फार्म के विरूद्व विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तथा पोल्ट्री फार्म को बन्द कराये जाने की मांग की जा रही है।
10. ग्राम पंचायत की बैठक में उक्त पोल्ट्री फार्म के विरूद्व प्रस्ताव पारित होने के बाद भी पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा ग्रामवासियों व बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है जिससे ग्रामवासियों में उक्त पोल्ट्री फार्म बन्द कराये जाने हेतु काफी रोष व्याप्त है।

उपरोक्त से परिलक्षित है कि ग्राम रहीमाबाद में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद की आबादी के निकट (निर्धारित मानक से दूर न होने) होने के कारण तथा पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा मुख्य रूप से लेयर फार्म

उप जिला मजिस्ट्रेट सफीपुर जनपद–उन्नाव

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर
वाद संख्या :-8948/2025
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948
सरकार बनाम अरसल मियाँ उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद
अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

—10—

से जनित वेस्ट (मुर्गियों की बीट) को खुले में भण्डारित करने व मृत मुर्गियों को खुले में डालने व नियमित साफ सफाई व दवा छिड़काव न कराये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही है तथा अत्यधिक संख्या में मक्खियां आदि जनित हो रही है जिससे ग्रामवासियों व बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा ग्रामवासियों का दैनिक जनजीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा कुक्कुट नीति–2013 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में जारी गाइड लाइन का पालन न किये जाने तथा समस्या के संज्ञान में आने के उपरान्त भी उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु पर्याप्त व्यवस्था व कार्यवाही न किये जाने से ग्रामवासियों द्वारा उक्त पोल्ट्री फार्म को बन्द कराये जाने की मांग प्रबल है। पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा न्यायालय में बहस दौरान स्वयं बताया गया कि पोल्ट्री फार्म में 15000, 15000 की क्षमता के 02 केज है। जिसके आधार पर भी पोल्ट्री फार्म में 30000 मुर्गियों को रखने की व्यवस्था की गयी है तथा निरीक्षण आख्या में भी 28000 मुर्गियों के होने की बात कही गयी है। Enviromental Guidelines for Poultry Farms में उल्लिखित है कि "Poultry Farms handling birds above 25,000 at single location will have to obtain consent to establish (CTE) and consent for operate (CTO) under the Water Act, 1974 & Air Act 1981 from State Pollution Control Board/Pollution Control Committee." पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा अपने पोल्ट्री फार्म में 25000 की क्षमता से अधिक मुर्गियाँ रखी जा रही है और उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा 25000 से अधिक मुर्गियाँ रखने पर उपरोक्त विभागों से सम्बन्धित एन0ओ0सी0 / सार्टिफिकेट भी प्राप्त नहीं किया गया है। जिसके आधार पर भी पोल्ट्री फार्म का संचालन नियम अनुरूप नहीं हो रहा है।

पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा मृत मुर्गियों को खुले में डाल देने से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है जिससे विदित होता है कि पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप कार्य न करते हुये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुये पोल्ट्री फार्म संचालन किया जा रहा है।

पोल्ट्री फार्म संचालक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152(1) के तहत नोटिस दिये जाने के बाद भी कोई अपेक्षित सुधार नहीं किया गया है। प्रकरण में न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा

363

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510690308948

सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

--11--

संहिता 2023 की धारा 154 (ख) के क्रम में वर्चुअल सुनवाई व कोर्ट में पक्षकारों की हाजिरी में भी सुनवाई की गयी तथा वर्चुअल सुनवाई में पुनः कोई सुधार न किया जाना व गन्दगी होना पाया गया तथा न्यायालय में हाजिर ग्रामवासियों द्वारा कोई सुधार न किये जाने व समस्या तस की जस बनी रहने व पोल्ट्री फार्म बन्द कराये जाने की बात कही गयी। यद्यपि पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्मिंग को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है परन्तु उक्त कारकों में स्थानीय निवासियों का स्वास्थ्य व जीवन जीने की मौलिक आवश्यकता यथा स्वच्छ वातावरण व दुर्गन्ध तथा मक्खी रहित परिवेश भी आधुनिक मानव समाज का महती व अत्यन्त मूलभूत अधिकार है तथा स्वस्थ मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-152(1)(ख) में उल्लिखित है कि "किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए"। ऐसी स्थिति में पोल्ट्री फार्म संचालक को ग्रामवासियों के स्वास्थ्य व दैनिक जनजीवन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत उपरोक्त कमियों के ठोस सुधार तथा कुक्कुट नीति-2013 में उल्लिखित मापदण्डों के अनुरूप व केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की जनवरी 2022 की गाइड लाइन के अनुरूप कार्यवाही कर समस्या का समाधान किये जाने हेतु व सम्बन्धित विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने हेतु समय दिया जाना उचित है। यदि प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा उक्त का अनुपालन नियत समय सीमा में नहीं किया जाता है तो प्रभारी निरीक्षक थाना आसीवन व तहसीलदार सफीपुर की सुपुर्दगी में दिया जाना जनहित में आवश्यक व न्यायसंगत है। अतएव न्यायालय द्वारा जारी सशर्त आदेश दिनांक 18-09-2025 को अन्तिम आदेश में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। अतः आदेश हुआ कि

<u>आदेश</u>

प्रतिवादी पक्ष अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के कारण ग्राम रहीमाबाद के निवासियों के स्वास्थ्य व दैनिक जनजीवन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत उपरोक्त पोल्ट्री फार्म में व्यवसायिक गतिविधि तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें तथा उपरोक्त कमियों के ठोस सुधार तथा कुक्कुट नीति-2013 में उल्लिखित मापदण्डों के अनुरूप व केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की जनवरी 2022 की गाइड लाइन के अनुरूप कार्यवाही कर समस्या का

उप जिला मजिस्ट्रेट सफीपुर, उन्नाव

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :सफीपुर

वाद संख्या :-8948/2025

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202510590308948

सरकार बनाम अख्तर मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद

अंतर्गत धारा:- 152, अधिनियम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

—12—

समाधान करने व एन0ओ0सी0 सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किये जाने/किये जाने की प्रक्रिया हेतु पन्द्रह दिन का समय दिया जाता है। यदि प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा उक्त का अनुपालन नियत समय सीमा में नहीं किया जाता है तथा सम्बन्धित विभाग से Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) की एन0ओ0सी0/सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तो नियत अवधि बाद तहसीलदार सफीपुर व प्रभारी निरीक्षक थाना आसीवन उपरोक्त पोल्ट्री फार्म अपनी सुपुर्दगी में लेकर पोल्ट्री फार्म को बन्द या स्थानान्तरित कराने की कार्यवाही करेंगे जिसमें पशु चिकित्साधिकारी अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। आदेश की प्रति आदेश का अनुपालन कराने हेतु तहसीलदार सफीपुर व प्रभारी निरीक्षक थाना आंसीवन जनपद उन्नाव व पशु चिकित्साधिकारी सफीपुर को प्रेषित की जाये। आदेश का अनुपालन उपरोक्तानुसार सुनिश्चित किया जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–: 18.10.2025

(शिवेन्द्र कुमार वर्मा)
उपजिला मजिस्ट्रेट सफीपुर
जनपद–उन्नाव

उप जिला मजिस्ट्रेट * सफीपुर * जनपद–उन्नाव *

Annexure R4/6

Before The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench At New Delhi Under Sections 16 of the National Green Tribunal Act, 2010 Appeal No._____OF 2025 In the Matter of: Attan Miya@ Ataur Rahman Siddique Vs State of U.P and others के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench At New Delhi Under Sections 16 of the National Green Tribunal Act, 2010 Appeal No._____OF 2025 In the Matter of: Attan Miya@Ataur Rahman Siddique Vs State of U.P and others के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:–

<u>बिन्दु संख्या–01</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–02</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–03</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.1</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.2</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.3</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.4</u> प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं किया गया है। संदर्भित पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध जन शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त स्थीलय निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 02.09.2025 को किया गया था। निरीक्षण आख्या अनुसार पोल्ट्री फार्म से लगभग 180 मी0 की दूरी पर ग्राम–रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी थी। उसी गाँव के ग्रामवासियों द्वारा दुर्गन्ध एवं मक्खियों से हो रहे परेशानियों की शिकायत विभिन्न माध्यमों से की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण अनुसार पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म कुकुट नीति–2013 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी, 2022 में जारी पोल्ट्री फार्म स्थापना हेतु जारी गाइडलाइन के अनुरूप पोल्ट्री फार्म का स्थल न होने के कारण बोर्ड मुख्यालय द्वारा पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 एवं बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 जारी किया गया है।

<u>बिन्दु संख्या–4.5</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.6</u> बिन्दु सं0–4.4 के अनुसार।

<u>बिन्दु संख्या–4.7</u> बिन्दु सं0–4.4 के अनुसार।

<u>बिन्दु संख्या–4.8</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.9</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.10</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.11</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.12</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.13</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.14</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.15</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.16</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.17</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.18</u> टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

<u>बिन्दु संख्या–4.19</u> बिन्दु सं0–4.4 के अनुसार।

<u>बिन्दु संख्या–4.20</u> प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं किया गया है। संदर्भित पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध पर्यावरणीय प्रदूषण तथा दुर्गन्ध की समस्या के दृष्टिगत जिला प्रशासन उन्नाव में ग्रामवासियों द्वारा जन शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त स्थीलय निरीक्षण हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 02.09.2025 को किया गया था। निरीक्षण आख्या अनुसार पोल्ट्री फार्म से लगभग 180 मी0 की दूरी पर ग्राम–रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी थी एवं उसी गाँव के ग्रामवासियों द्वारा दुर्गन्ध एवं मक्खियों से हो रहे परेशानियों की शिकायत विभिन्न माध्यमों से की जा रही थी। संयुक्त निरीक्षण की आख्यानुसार पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म कुकुट नीति–2013 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी, 2022 में जारी पोल्ट्री फार्म स्थापना हेतु जारी गाइडलाइन के अनुरूप पोल्ट्री फार्म का स्थल न होने के कारण बोर्ड मुख्यालय द्वारा पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 जारी किया गया। उक्त कराण बताओ नोटिस का जवाब पोल्ट्री फार्म संचालनकों द्वारा राज्य बोर्ड में प्रेषित नही किया गया एवं बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पत्रांक–649/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक–30.10.2025 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 04.11.2025 को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, थाना–आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव की बन्दी आदेश के क्रियान्वयन हेतु विद्युत विभाग, उन्नाव द्वारा विद्युत संयोजन एवं एक नग डी0जी0 सेट सीलिंग की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के समय मौके पर दोनों शेडों में लगभग 22000 मुर्गियाँ जीवित होना अवगत कराया गया। मौके पर पोल्ट्री फार्म प्रतिनिधि द्वारा पोल्ट्री फार्म को तीन दिन के अन्दर खाली किये जाने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 04.11.2025 (संलग्नक–01) प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों शेडों को खाली कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव के पत्र दिनांक 04.11.2025 (संलग्नक–02) द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उन्नाव को प्रेषित किया गया। उक्त के अतिरिक्त संदर्भित बन्दी आदेश प्रभावी पोल्ट्री फार्म का संयुक्त समिति द्वारा उप जिलाधिकारी, सफीपुर, उन्नाव के मौखिक आदेशानुसार निरीक्षण दिनांक 18.11.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म के 01 शेड खाली होने पर उक्त शेड को सील कर दिया गया था। शेष शेड को यथाशीघ्र पशुपालन विभाग से मुर्गियों को पोल्ट्री फार्म संचालक से समन्वय स्थापित हटाने हेतु कहा गया, जिससे कि पोल्ट्री फार्म को पूर्णः रूप से बन्दी आदेश के अनुपालन में सील किया जा सके। निरीक्षण के समय पशुपालन विभाग के पशु डाक्टरों द्वारा अवगत कराया गया कि बार–बार पोल्ट्री फार्म संचालक को मुर्गियों को अन्य स्थान पर स्थान्तरित करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, परन्तु पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। जिससे रहीमाबाद के ग्रामवासियों द्वारा बार–बार तहसील मुख्यालय आदि आफिसों का घेराव एवं शिकायत की जा रही है। संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है। कार्यालय के पत्र सं0–714/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक 19.11.2025 के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को प्रश्नगत प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है (संलग्नक–03)। पोल्ट्री फार्म संचालकगणों द्वारा राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने तथा निरन्तर राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश के विरूद्ध पोल्ट्री फार्म का संचालन किये जाने के दृष्टिगत कार्यालय के पत्र सं0–719/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक 20.11.2025 के माध्यम से पोल्ट्री फार्म के संचालकगण के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विधि अनुभाग से विविध अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है (संलग्नक–04)। बोर्ड मुख्यालय से जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 का पूर्णतः अनुपालन मुर्गी फार्म के दोनों शेडों में पाली गयी सभी मुर्गीयों को पशु पालन विभाग द्वारा हटवाये जाने के उपरान्त दिनांक 18.12.2025 को जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव द्वारा गठित समिति द्वारा सील किया गया। अनुपालन आख्या कार्यालय के पत्रांक–788/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक 19.12.2025 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है (संलग्नक–05)। उक्त लेयर फार्म इकाई द्वारा आनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन निवेशमित्र पोर्टल पर दिनांक 04.10.2025 को किया गया था। आनलाइन अनापत्ति आवेदन पत्र के अनुसार उक्त लेयर फार्म मेसर्स बर्लिंग्टन लेयर फार्म, गाटा नं0 431 ग्राम रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, जिला–उन्नाव द्वारा 30000 बर्ड पालन एवं 29000 अण्डा/दिन उत्पादन तथा पोल्ट्री फीट 90 एम0टी0/दिन हेतु आवेदन किया गया था। आनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रेषित/आनलाइन अपलोड पार्टनीशिप डीड दिनांक 15.11.2021 (संलग्नक–06) के अनुसार लेयर फार्म के संचालकगण श्री जमीलुर्रहमान सिद्दीकी पुत्र श्री हाफिजुर्रहमान, श्री फजूर्लरहमान सिद्दीकी पुत्र हाफिजुर्रहमानएवं श्री उबैर्दुहमान पुत्र शफीकुर्रहमान सिद्दीकी है। उक्त स्थापना सहमति आवेदन पत्र को राज्य बोर्ड के ऑनलाइन संदर्भ सं0–251806/UPPCB/Unnao(UPPCBRO)/CTE/UNNAO/2025 दिनांक 09.10.2025 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है (संलग्नक–07)।

बिन्दु संख्या–4.21 बिन्दु सं0–4.20 के अनुसार।

बिन्दु संख्या–4.22 टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

बिन्दु संख्या–4.23 प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं किया गया है। संदर्भित पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध जन शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त स्थीलय निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 02.09.2025 को किया गया था। निरीक्षण आख्या अनुसार पोल्ट्री फार्म से लगभग 180 मी0 की दूरी पर ग्राम–रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी थी। उसी गाँव के ग्रामवासियों द्वारा दुर्गन्ध एवं मक्खियों से हो रहे परेशानियों की शिकायत विभिन्न माध्यमों से की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण अनुसार पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म कुकुट नीति–2013 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी, 2022 में जारी पोल्ट्री फार्म स्थापना हेतु जारी गाइडलाइन के अनुरूप पोल्ट्री फार्म का स्थल न होने के कारण बोर्ड मुख्यालय द्वारा पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 को जारी किया गया था। जारी कारण बताओ नोटिस को बोर्ड द्वारा लेयर फार्म के प्रतिनिधि को दिनांक 24.10.2025 को प्राप्त कराया गया था (संलग्नक–08)। परन्तु लेयर फार्म के प्रतिनिधि द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर बोर्ड को प्रेषित नही किया गया। बोर्ड मुख्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस के कम में दिनांक 29.10.2025 को बन्दी आदेश जारी किया गया था (संलग्नक–09)।

बिन्दु संख्या–4.24 टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

बिन्दु संख्या–4.25 टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

बिन्दु संख्या–4.26 टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

बिन्दु संख्या–4.27 टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

बिन्दु संख्या–4.28 टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

बिन्दु संख्या–4.29 टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

बिन्दु संख्या–4.30 टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

17/01/2026
(बीरेन्द्र कुमार)
अवर अभियंता

17/01/26
(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

सेवा मे

संलग्नक - 01

उपजिला अधिकारी

सफीपुर उन्नाव

महोदय

अवगत कराना है कि धर्मेन्द्र सिंह 8840015538 सुपर वाइजर उस्मान मिया पोल्ट्री फार्म रहीमाबाद तहसील सफीपुर थाना असीवन जनपद उन्नाव मे स्थापीत है जिसमे वर्तमान मे 22000 हजार मुर्गी है जो जीवित है उसको ~~जल्द~~ 3 तीन दिन के अन्दर हटाने का समय दिया जाय

दिनांक-04-11-25

धर्मेन्द्र सिंह

सुपरवाइजर

8840015538

उस्मान मियाँ

मुर्गी फारम

संलग्नक - 02

कार्यालय उप जिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव।

पत्रांक 384 /एसटी./पोल्ट्री फार्म-रहीमाबाद/2025 दिनांकः- 04, XI. 2025

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
उन्नाव।

कृपया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ संख्या H34014/सी-5/वायु-166/2025 दिनांक 29.10.2025 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के पत्रांक 649/NOC-1691/2025 दिनांक 30.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ संख्या H34014/सी-5/वायु-166/2025 द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उन्नाव को, श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म को यदि कोई अनुज्ञा प्रदान की गयी हो तो उसे निरस्त करते हुए श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव से जीवित पक्षियों को तत्काल उक्त परिसर से बाहर निकलवाकर बन्दी आदेश सुनिश्चित कराने तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 29.10.2025 तथा जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के आदेश दिनांक 30.10.2025 का अनुपालन न होने से श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव से जीवित पक्षियों को अभी तक बाहर नहीं किया गया है, जिससे सीलिंग की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री अत्तन मियां से समन्वय स्थापित कर उक्त संचालित पोल्ट्री फार्म स्थित ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव से जीवित पक्षियों को बाहर निकलवाने हेतु तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

उपजिलाधिकारी,
सफीपुर, उन्नाव।

पत्रांक व दिनांकः-उपरोक्त।
प्रतिलिपिः-

01- जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को सादर सूचनार्थ।
02- क्षेत्राधिकारी सफीपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उन्नाव से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त आदेश का अनुपालन करायें।
03- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी,
सफीपुर, उन्नाव।

संलग्नक-03

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0/Ref.No. 714/एन0ओ0सी0-1691/2025 दिनांक/Date- 19/11/2025

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
उन्नाव।

विषयः श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, थाना-आसीवन, तहसील-सफीपुर, जनपद-उन्नाव के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत होना चाहें कि ग्राम-रहीमाबाद, सफीपुर, उन्नाव में श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म से ग्राम-रहीमाबाद के ग्रामवासियों को हो रही समस्या के दृष्टिगत ग्रामवासियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को की गयी शिकायतों के कम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उन्नाव एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव की संयुक्त समिति द्वारा जाँच दिनांक 02.09.2025 को की गयी। उक्त संयुक्त जाँच में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म उ0प्र0 शासन की कुकुट नीति, 2013 के मापदण्डों के अनुसार न होने तथा सी0पी0सी0बी0 द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप न होने के दृष्टिगत प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 जारी किया गया था।

उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म द्वारा न किये जाने के दृष्टिगत प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 (संलग्नक-01) जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म को खाली कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव को पृष्ठाकिंत निर्देशित है। उक्त बन्दी आदेश के कियान्वयन हेतु महोदय के पत्रांक-649/एन0ओ0सी0-1691/2025 दिनांक-30.10.2025 (संलग्नक-02) द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 04.11.2025 को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, थाना-आसीवन, तहसील-सफीपुर, जनपद-उन्नाव की बन्दी आदेश के कियान्वयन हेतु विद्युत विभाग, उन्नाव द्वारा विद्युत संयोजन एवं एक नग डी0जी0सेट सीलिंग की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के समय मौके पर दोनों शेडों में लगभग 22000 मुर्गियाँ जीवित होना अवगत कराया गया। उक्त दोनों शेडों को खाली कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव के पत्र दिनांक 04.11.2025 (संलग्नक-03) द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उन्नाव को प्रेषित किया गया।

प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के संचालक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में रिट-सी सं0........ ऑफ 2025 Poultry Farm, Village-Rahimabad Tehsil- Safipur, Police StationAsiwan, District-Unnao, run by M/s Burlington Layer Farm, Ezma Plaza, 33 Cantt. Road Lucknow through its Partner Attan Miya@Ataur Rahman Siddique दायर की गयी है। अवगत होना चाहें वर्तमान तक उक्त पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ मौजूद है। जिसके कारण ग्रामवासी श्री नीरज कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, विकम सिंह, राज बहादुर, संतोष कुमार एवं अन्य लगभग 80 ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 19.11.2025 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ का घेराव किया गया। उक्त ग्रामवासियों द्वारा राज्य बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ का पूर्व में भी घेराव किया गया तथा बोर्ड मुख्यालय के अधिकारियों को दूरभाष पर घेराव किये जाने की चेतावनी भी दी जा रही है।

उक्त के दृष्टिगत महोदय से अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
19/11/2025
(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

...2...

क्षेत्रीय कार्यालय : बी-18/3, आवास कालोनी, उन्नाव-209801, दूरभाष/फैक्सः 0515-2830488, ई-मेल-rounnao@uppcb.in
मुख्यालयः टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, दूरभाष : 0522-2720828, 2720681,
फैक्स : 0522-2720764
D:\UPPCB\CEO S.docx

(2)

प्रतिलिपिः—

1. निजी सहायक, अध्यक्ष महादेय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. सदस्य सचिव महादेय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बोर्ड मुख्यालय स्तर से भी सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक-04

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0/Ref.No. 7/9 /एन0ओ0सी0-/691/2025 दिनांक/Date- 20 /11/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

ई-मेल द्वारा

विषयः श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, थाना-आसीवन, तहसील-सफीपुर, जनपद-उन्नाव के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या-एच-34014/सी0-5/वायु-166/2025 दिनांक 29.10.2025 ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव में संचालित पोल्ट्री फार्म, मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 (ए) के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि उक्त बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म को खाली कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव को पृष्ठांकित निर्देशित है। उक्त बन्दी आदेश के कियान्वयन हेतु जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पत्रांक-649/एन0ओ0सी0-1691/2025 दिनांक-30.10.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 04.11.2025 को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, थाना-आसीवन, तहसील-सफीपुर, जनपद-उन्नाव की बन्दी आदेश के कियान्वयन हेतु विद्युत विभाग, उन्नाव द्वारा विद्युत संयोजन एवं एक नग डी0जी0सेट सीलिंग की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के समय मौके पर दोनों शेडों में लगभग 22000 मुर्गियाँ जीवित होना अवगत कराया गया। उक्त दोनों शेडों को खाली कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव के पत्र दिनांक 04.11.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उन्नाव को प्रेषित किया गया।

अग्रेतर दिनांक 19.11.2025 को उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशो के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोल्ट्री फार्म में स्थापित 01 शेड पूर्णतया खाली पाया गया एवं 01 अदद शेड में मुर्गी पालन का कार्य किया जाता पाया गया।

प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म के संचालक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में रिट-सी सं0........ ऑफ 2025 Poultry Farm, Village-Rahimabad Tehsil- Safipur, Police StationAsiwan, District-Unnao, run by M/s Burlington Layer Farm, Ezma Plaza, 33 Cantt. Road Lucknow through its Partner Attan Miya@Ataur Rahman Siddique दायर की गयी है। अवगत हो कि वर्तमान तक उक्त पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ मौजूद है। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म को जारी बंदी आदेश दिनांक 29.10.2025 का अनुपालन, पोल्ट्री फार्म द्वारा सुनिश्चित नही किया जा रहा है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 (ए) के प्रावधानो का उल्लंघन है।

......2......

अतः उक्त पोल्ट्री फार्म के संचालकगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में दायर रिट–सी सं0........ ऑफ 2025 Poultry Farm, Village-Rahimabad Tehsil- Safipur, Police StationAsiwan, District-Unnao, run by M/s Burlington Layer Farm, Ezma Plaza, 33 Cantt. Road Lucknow through its Partner Attan Miya@Ataur Rahman Siddique के आलोक में पोल्ट्री फार्म के संचालकगण के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में विधि अनुभाग से विधिक अभिमत प्राप्त करते हुए इस कार्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश/मार्ग दर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, अध्यक्ष महादेय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. सदस्य सचिव महादेय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. मुख्य विधि अधिकारी/प्रभारी विधि अनुभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक– 649/NOC-1691/2025 दिनांक 30.10.2025

आदेश

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय लखनऊ के पत्रांक–एच 34014/सी–5/वायु–166/2025 दिनांक–29.10.2025 द्वारा श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव, को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन/कियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नवत् संयुक्त समिति गठित की जाती हैः–

1. उपजिलाधिकारी, सफीपुर, उन्नाव।
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव/नामित प्रतिनिधि।
3. क्षेत्राधिकारी पुलिस, सफीपुर, उन्नाव।
4. अधिशाषी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड IV, बांगरमऊ/सफीपुर, उन्नाव।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव/नामित प्रतिनिधि–सदस्य संयोजक।

उपरोक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 का अनुपालन/कियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही/बंदी की अनुपालन आख्या से 03 दिवसो के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को बंदी की अनुपालन आख्या प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
उन्नाव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।
3. संयुक्त समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ।
4. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म की बंदी सुनिश्चित किये जाने हेतु पोल्ट्री फार्म के जीवित पक्षियों को तत्काल बाहर निकलवाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि उक्त बन्दी आदेश की अनुपालन आख्या उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
उन्नाव

संलग्नक-09

कार्यालय उप जिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव।

पत्रांक 384 /एसटी./पोल्ट्री फार्म-रहीमाबाद/2025 दिनांकः- 04.XI.2025

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
उन्नाव।

कृपया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ संख्या H34014/सी-5/वायु-166/2025 दिनांक 29.10.2025 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के पत्रांक 649/NOC-1691/2025 दिनांक 30.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ संख्या H34014/सी-5/वायु-166/2025 द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उन्नाव को, श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म को यदि कोई अनुज्ञा प्रदान की गयी हो तो उसे निरस्त करते हुए श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव से जीवित पक्षियों को तत्काल उक्त परिसर से बाहर निकलवाकर बन्दी आदेश सुनिश्चित कराने तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 29.10.2025 तथा जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के आदेश दिनांक 30.10.2025 का अनुपालन न होने से श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव से जीवित पक्षियों को अभी तक बाहर नहीं किया गया है, जिससे सीलिंग की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री अत्तन मियां से समन्वय स्थापित कर उक्त संचालित पोल्ट्री फार्म स्थित ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव से जीवित पक्षियों को बाहर निकलवाने हेतु तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

उपजिलाधिकारी,
सफीपुर, उन्नाव।

पत्रांक व दिनांकः-उपरोक्त।
प्रतिलिपिः-

01- जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को सादर सूचनार्थ।
02- क्षेत्राधिकारी सफीपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उन्नाव से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त आदेश का अनुपालन करायें।
03- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी,
सफीपुर, उन्नाव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, UNNAO

संदर्भ सं0/**Ref.No.** 788/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक/**Date**–19/12/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

ई–मेल द्वारा

विषय– श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, थाना–आसीवन, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2025 का अनुपालन/कियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 34014/सी0–5/वायु–166/2025 दिनांक 29.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31ए अन्तर्गत निर्गत बंदी आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव के पत्रांक–649/एन0ओ0सी0–1691/2025 दिनांक 30.10.2025 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा पूर्व में दिनांक 04.11.2025 को संदर्भित पोल्ट्री फार्म के स्थल पर 02 शेड्स में मुर्गी पालन कार्य किया जाता पाया गया था। दोनो शेड्स में जीवित मुर्गिया होने से शेड्स को सील नही किया जा सका मात्र 40 के0वी0ए0 क्षमता के 01 नग डी0जी0 सेट को सील किया गया तथा विद्युत विभाग द्वारा पोल्ट्री फार्म को विद्युत विच्छेदन किया गया था। उक्त गठित समिति द्वारा दिनांक 19.11.2025 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 01 अद्द शेड एवं उसकी समस्त सुविधाओं को सील किया गया। उक्त बन्दी आदेश के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, सफीपुर, उन्नाव से दिनांक 18.12.2025 में हुई वार्ता के कम में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एक शेड जिसमें मुर्गियाँ थी, को पूर्णतया खाली करा दिया गया है तथा सील किये जाने हेतु कहा गया। तत्कम में दिनांक 18.12.2025 को पूर्णतः बंदी सुनिश्चित किये जाने हेतु उक्त पोल्ट्री फार्म के शेष एक शेड को सील किया गया। उक्त कार्यवाही की आख्या एवं फोटोग्राफ्स संलग्नकर आपके अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्राधिकारी पुलिस, आसीवन, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : बी–18/3, आवास कालोनी, उन्नाव–209801, दूरभाष/फैक्सः 0515–2830488, ई–मेल–rounnao@uppcb.in
मुख्यालयः टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681,
फैक्स : 0522–2720764
D:\UPPCB\CEO 5.docx

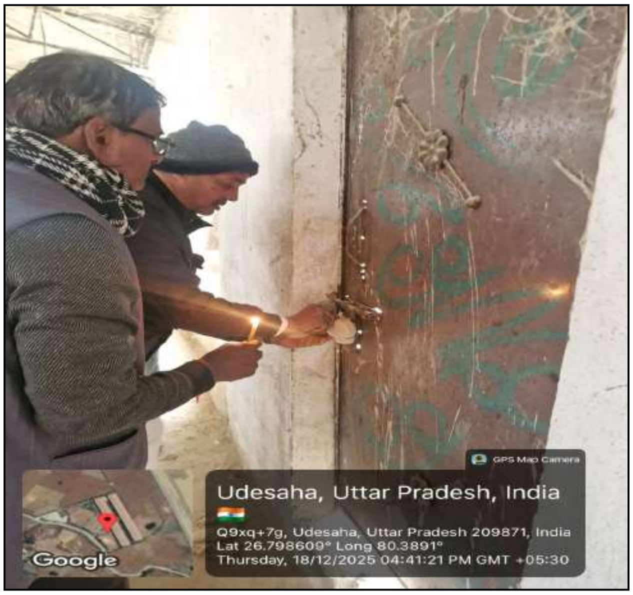
GPS Map Camera
Udesaha, Uttar Pradesh, India
Q9xq+7g, Udesaha, Uttar Pradesh 209871, India
Lat 26.798609° Long 80.3891°
Thursday, 18/12/2025 04:41:21 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Udesaha, Uttar Pradesh, India
Q9xq+7g, Udesaha, Uttar Pradesh 209871, India
Lat 26.798614° Long 80.389092°
Thursday, 18/12/2025 04:41 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Khera Town, Uttar Pradesh, India
Bari Thana, Pikhi Road, Mulbi, Khera Town, Uttar Pradesh 209870, India
Lat 26.799257° Long 80.388936°
Thursday, 18/12/2025 04:34 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Udesaha, Uttar Pradesh, India
Q9xq+7g, Udesaha, Uttar Pradesh 209871, India
Lat 26.798597° Long 80.389102°
Thursday, 18/12/2025 04:42 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Udesaha, Uttar Pradesh, India
Q9xq+7g, Udesaha, Uttar Pradesh 209871, India
Lat 26.798597° Long 80.389102°
Thursday, 18/12/2025 04:42 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Khera Town, Uttar Pradesh, India
Bari Thana, Pikhi Road, Mulbi, Khera Town, Uttar Pradesh 209870, India
Lat 26.79921° Long 80.388982°
Thursday, 18/12/2025 05:33 PM GMT +05:30
Google

बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं० H-34014/C-5/वायु-166/2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा ग्रा० रहीमाबाद त० सफीपुर थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव में संचालित पोल्ट्री फार्म मै० अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री के विरुद्ध जारी बंदी आदेश के क्रम जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पत्रांक संख्या-649/NOC-1691/2025 दिनांक 30-10.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या

कृपया उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक H-34014/C-5/वायु-166/2025 दिनांक 29.10.25 द्वारा मै० अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म ग्रा रहीमाबाद त० सफीपुर, थाना-आसीवन जनपद उन्नाव को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31(A) के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुपालन/क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव के पत्र सं० 649/NOC-1691/2025 दि० 04.11.25 को संदर्भित पोल्ट्री की समिति का गठन किया गया गठित समिति द्वारा पूर्व में दिनांक 04.11.2025 को संदर्भित पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान उपरान्त पोल्ट्री फार्म के स्थल पर 02 शेड्स में मुर्गी पालन का कार्य किया जाता पाया गया था दोनों शेड्स में जीवित मुर्गियां होने से शेड्स को शील नहीं किया जा सका मात्र 40 KVA क्षमता के 01 नग DG set को सील किया गया तथा विद्युत विभाग द्वारा पोल्ट्री फार्म का विद्युत विच्छेदन किया गया

तदोपरान्त दिनांक 19.11.2025 को उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संदर्भित पोल्ट्री फार्म का औचक निरीक्षण किया गया पोल्ट्री फार्म में स्थापित 1 शेड की पट्टियां खाली पाया गया एवं 1 अदद शेड में मुर्गी पालन का कार्य किया जाता पाया गया तत्क्रम में खाली शेड एवं उक्त शेड की अन्य सुविधाओं को संयुक्त समिति द्वारा शील किया गया गठित समिति द्वारा दिनांक 18/12/2025 को निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान 1 अदद शेड में जीवित मुर्गियां नहीं पायी गयी उक्त पोल्ट्री फार्म के दूसरे शेड को भी शील कर दिया गया है। वर्तमान में मुर्गी फार्म के दोनों शेड एवं DG. set सील हैं। पूर्व में किये गये शेड सील एवं DG. set के सील सुरक्षित पाये गये सीलिंग प्रक्रिया के उपरान्त सभी सीलों एवं मुर्गी फार्म की निगरानी हेतु थाना आसीवन को समिति द्वारा तथा नायब तहसीलदार सफीपुर द्वारा निगरानी करने हेतु निर्देशित किया। समिति की आख्या हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत है।

SI भाविकान्त वर्मा
PS. आसीवन-उन्नाव
दि० 18.12.25

(आनन्देश कुमार)
उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी
सफीपुर

(उमेश कुमार)

दिनेश कुमार
नायब तहसीलदार

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संदर्भ सं0–एच–34014 / सी–5 / वायु–166 / 2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव में संचालित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध जारी बंदी आदेश के कम में जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पत्रांत्र सं0–649 / एन0ओ0सी0–1691 / 2025 दिनांक 30.10.2025 के अनुपालन के संबंध में आख्या।

कृपया उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच–34014 / सी–5 / वायु–166 / 2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव में संचालित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव, को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 (ए) के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का अनुपालन / कियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव के पत्रांत्र सं0–649 / एन0ओ0सी0–1691 / 2025 दिनांक 30.10.2025 द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा पूर्व में दिनांक 04.11.2025 को संदर्भित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म स्थल पर 02 शेड्स में मुर्गी पालन का कार्य किया जाता पाया गया था। तत्समय 02 शेड्स में जीवित मुर्गियों का पालन किया जाता पाये जाने के कारण, शेड्स को सील नही किया गया। मात्र पोल्ट्री फार्म में स्थापित 40 के0वी0ए0 क्षमता के 01 अदद डी0जी0 सेट को सील किया गया था, तथा विद्युत विभाग द्वारा पोल्ट्री फार्म की विद्युत संयोजन विच्छेदन किया गया था। निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म स्वामी द्वारा संयुक्त समिति को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया कि स्थापित 02 अदद शेड्स की मुर्गियों को 03 दिवस के अन्दर अन्य जगह पर स्थानांतरित कर, शेड्स को खाली कर दिया जायेगा।

अग्रेतर दिनांक 19.11.2025 को उपजिलाधिकारी सफीपुर, उन्नाव द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशो के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित पोल्ट्री फार्म मै0 अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोल्ट्री फार्म में स्थापित 01 शेड पूर्णतया खाली पाया गया एवं 01 अदद शेड में मुर्गी पालन का कार्य किया जाता पाया गया। इस संबंध में निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इनके द्वारा 01 शेड्स की मुर्गियों को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। तत्क्रम में खाली शेड एवं उक्त शेड की अन्य सुविधाओं को संयुक्त समिति द्वारा सील किया गया एवं 01 अदद शेड्स में संरक्षित मुर्गियों को यथाशीघ्र उक्त शेड्स से अन्य उपयुक्त स्थल पर स्थानांतरित किये जाने हेतु उपस्थित प्रतिनिधि को संयुक्त समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

संदर्भित पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध जारी उपरोक्त वर्णित बंदी आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन के संबंध में कृत कार्यवाही की आख्या आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

19/11/2025   19/11/25   19/11/2025

राजस्व निरीक्षक, तहसील–सफीपुर, उन्नाव।	अवर अभि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव	उप निरीक्षक, थाना–आसीवन, उन्नाव	सहा0पर्या0अभि0–01 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव	सहा0पर्या0अभि–02 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव	उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सफीपुर, उन्नाव।

संलग्नक - 06

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	: IN-UP32005817991020T
Certificate Issued Date	: 16-Nov-2021 10:57 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14348004/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP14310904539201124952727T
Purchased by	: JAMILUR RAHMAN SIDDIQUI SO HAFIZUR RAHMAN
Description of Document	: Article 46 Partnership
Property Description	: PATNERSHIP DEED
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: JAMILUR RAHMAN SIDDIQUI SO HAFIZUR RAHMAN
Second Party	: NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By	: JAMILUR RAHMAN SIDDIQUI SO HAFIZUR RAHMAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 750 (Seven Hundred And Fifty only)

Please write or type below this line

D. Rahim

0004162129

Rs. 750/- Through e-Stamp
Certificate No.IN-UP
Dated

PARTNERSHIP DEED

This Deed of Partnership made on 16th day of November in the year 2021 among.

1. **Mr. Jamilur Rahman Siddiqui son of Hafizur Rahman resident of Flat No.16, 4th Floor, 126/16 B.N. Road, Newton City Apartment, Lalbagh, lucknow (Mob-9026843577).**

NOTARY
Ajeet Kr. Mathur
Advocate
GOVT. OF U.P. LUCKNOW

-3-

2. Mr. Fazlur Rahman Siddiquie son of Hafizur Rahman resident of 183, Kasif Ali Saray, Unnao, Uttar Pradesh-209801 (Mob-9039260266).
3. Mr. Obaidur Rahman S/o Shafiqur Rahman Siddiquie, resident of 110/66D/D4 Burlington Compound, Cantt Road, Hussainganj, Lucknow Uttar Pradesh, 226001 (Mob-9169239702).

Here in after All the parties mutually agreed to commence business on partnership of All the parties respectively which the expression shall includes the heirs, executors, administrators, successors, assigns and authorized representatives of the respective parties.

NOW THIS DEED WITNESSETH as follows: -

AND WHEREAS the parties to this Deed deem it proper and necessary to reduce in writing the terms and conditions agreed upon in order to avoid possibility of any future dispute of understanding. NOW the parties hereby execute this DEED OF PARTNERSHIP, out of their own free WILL, on the terms and conditions as mutually agreed upon and as mentioned herein.

The terms and conditions hereinafter-contained self govern this partnership unless and otherwise modified and agreed upon.

1. That the partnership business shall commence on 16-11-2021 and shall be carried on till determination by the partners or completion of the specific work mentioned above.

2. That the supply contracts will be tendered and secured in the name of the firm M/S BURLINGTON LAYER FARM.

3. That the firm shall have its registered office at **Ezma Plaza, 33 cantt Road Lucknow-1** and Principal Place of business **Raheemabad Safipur, District-Unnao** or at such other place as the partners may mutually decide.

4. That the firm shall have branch or branches at such other place or places as the partners may mutually decide.

5. That the business of the partnership firm Poultry farming and Manufacturing of Foods.

6. That the funds required by the partnership business shall be contributed or arranged by the partners in such manner as may be mutually agreed upon.

7. That all the parties have agreed to keep themselves actively engaged in running the business of the partnership firm and all the partners shall be working partners and shall be entitled to remuneration as follows-

The Finance (no.2) Act 2009 has amended and increased maximum remuneration which can be paid to partners with benefit of allow ability under section 40(b). The distribution should however, be in accordance with partnership deed of the firm or any variation in the same as agreed by all partners and supported by a suitable deed signed by all partners.

The amendment was proposed vide clause 15 of the Finance (No.2) Bill, 2009 and has been enacted in the same manner. Accordingly now relevant clause of section 40 of the Income-tax Act w.e.f. 1st day of April, 2010, stands as follows:

"(a) on the first Rs. 3,00,000/- of the book-profit or in case of a loss	Rs. 1,50,000/- or the rate or 90 per cent. Of the book-profit, whichever is more;
(b) on the balance of the book-profit	at the rate of 60 per cent".

NOTARY GOVT. OF U.P. LUCKNOW

So now there is no difference between professional firms and other firms. In case of loss in any type of firm the allowable deduction on account of remuneration to eligible partners shall be Rs. 1,50,000/-

8. The net profit or loss after deducting all expenses, interest, salary and remuneration payable to partners shall be divided between all the partners in the ratio referred to herein after.

S. No.	Name	Proportion
1-	Mr. Jamilur Rahman Siddiqui	33.33 %
2-	Mr. Fazlur Rahman Siddiquie	33.33 %
3-	Mr. Obaidur Rahman	33.33 %

9. The partners shall be entitled to alter, modify or change the above terms relating to, interest, salary, remuneration or profit/loss sharing ratio etc. payable to the partners by accepting a supplementary deed and such deed be executed shall have the effects unless otherwise provided, from the first day of the accounting period in which such supplementary deed is executed and the same shall be part of this deed of partnership.

10. That the partners shall be entitled to withdraw any amount during the tenure of the partnership firm towards their share of profit, remuneration or interest out of their capital, current or loan account from time to time with the mutual consent of the other partner and in a way that will not affect functioning of the business.

11. The books of partnership firm will be kept at the registered shop in accordance with law and customs. The books of account shall be closed on 31st day of March every year and Balance Sheet as on 31st March and Profit and Loss Account for the year ended on that date shall be drawn and signed by all the partners.

NOTARY GOVT. OF U.P. LUCKNOW

O. Rahman

12. All the parties hereto shall have access to the books of account of the partnership firm and shall have right to inspect the same and take copy of the same.
13. The bank account or accounts of the partnership firms shall be opened in such bank/s as may be agreed upon and such account or accounts will be operated only by authorized signatory Jamilur Rahman Siddiqui, Fazlur Rahman Siddiqui and Obaidur Rahman Siddiqui are appointed as authorized signatory with mutual consent of all partners, Any 2 signatory can sign a cheque to withdraw any cash amount as required. However, mode of operation of bank account may be changed information of any such decision, signed by all the partners, shall be furnished to bank immediately as per need in future, with mutual consent of all the partners and shall be furnished to bank immediately.
14. It has also been agreed among the partners that if any partner decides to retire from the firm out of his/her own free will; he/she must give the notice of 60 days to the other partners. However this period may be increased or decreased with the mutual consent of all, the partners.
15. That the outgoing partner under no circumstances can sell his/her share to any outside person except with the written consent of all the other partners. Further, The amount payable to him/her shall be the amount standing to the credit of his/her capital/current account or the amount decided on the basis of the mutual agreement keeping in view the market rate of assets of the firm prevailing at that time and no goodwill shall be payable to the outgoing partner.
16. That notwithstanding anything contained in the Indian Partnership Act it is hereby mutually agreed to by and between the partners that in case of retirement of any one of the partners, the firm shall not ipso facto dissolved and surviving and/or continuing partners may continue to carry on the firm in

NOTARY

the same name and style, as a continuing concern. Further, the remaining partners may accept any other person as partner on the same terms and conditions as incorporated in this Deed or on such terms and conditions as may be agreed to by and among them from time to time.

17. Further, in case of death of any of the partner hereto, notwithstanding anything contained in the Indian Partnership Act, the firm shall not ipso facto dissolved and his/her heirs, successors and nominee may, if adults and willing to join be admitted to the partnership as partner. If his heirs, successors and nominee are not interested in joining the firm, the surviving partner may continue to carry on the firm in the same name and style, as a continuing concern on proprietorship basis or the surviving partner may accept any other person as partner on the same terms and conditions as incorporated in this Deed or on such terms and conditions. As may be agreed to by and among them from time to time.

18. In case of death of any of the partner hereto and his heirs, successors and nominee are not interested in joining the firm, then the amount. Payable to heirs and successors of the deceased partner shall be the amount standing to the credit of the deceased partner's capital/current account or the amount decided on the basis of the mutual agreement keeping in view the market rate of assets of the firm prevailing at that time.

19. This Deed hold strong only for the first cage and in the second and third cage share proportions will be and equally distributed amongst the siddiqui brothers only. If any share proportions remain untaken then it will be made available to other investors which will also be mutually agreed by **SIDDIQUI BROTHERS.**

20. That any new partner may be introduced in the firm with mutual consent of all the partners and on such terms and conditions as may be mutually decided by all the partners. That there would not be any effect on the working of the partnership

NOTARY GOVT. OF U.P.

firm upon the death/ Retirement of any partner in the future The Partnership Firm would continue to function. From the afore-mentioned Address as Partnership or Proprietorship.

21. No partner shall without the written consent of other partners:-

(a) Borrow money on behalf of the firm, employ any money, goods or effects of the partnership or pledge the credit thereof except in the ordinary course of business.

(b) Lend money or give credit on behalf of the partnership to or have any dealings with any person, company or firm which the other partners shall previously in writing have forbidden him to trust or deal with. Any loss incurred through any breach of this provision shall be made good to the partner by the partner incurring the same.

(c) Enter into bond or provide bail, surety or security with or for any person or do or knowingly cause to do or suffer to be done. Anything whereby the partnership property or any part thereof may be seized, attached, extended or taken in execution thereof.

(d) Assign, mortgage or charge his/her share in the partnership or may part such share to make any other person a partner with him there.

(e) Compromise, compound, release or discharge any debt due to the partnership.

(f) Enter into Partnership on behalf of the Firm.

(g) Acquire immovable property on behalf of the Firm.

(h) Transfer immovable property belonging to the Firm.

(i) Compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the Firm.

(j) Withdraw a suit or proceeding filed on behalf the Firm.

(k) Admit any liability in a suit or proceedings against the Firm.

(l) Open a bank account on behalf of the Firm in his/her own name; and

NOTARY GOVT. OF U.P.

(m) Submit a dispute relating to the business of the Firm to Arbitration.

22. Each partner shall:

(a) Be just and faithful to other partners in all transactions relating to the partnership and shall not cause anything which may be detrimental to the interest of the firm.

(b) Be at all time give to other partners a just and faithful account of the same and upon every reasonable request a full and correct explanation thereof to the other partners.

23. All disputes which shall arise among the partners and/or the legal representatives of the partners and whether during or after termination of partnership and whether in relation to the interpretation of this deed or any act or commission on their part, or as to an act which ought to have been done by parties in disputes or in relation to any of the matter whatsoever, touching the partnership affairs shall be referred, in accordance with the provisions of the Arbitration Act then enforce, to the arbitrator, to be preferred by all the partners or their legal representative mutually and arbitrator's decision shall be binding and final against all the parties to this Partnership Deed. It is also mutually agreed that under no circumstances, the matter shall be referred to the court.

24. That with respect to any matter connected with the affairs of the firm, which is not specifically provided for herein, the partner may make such agreements therefore as may be agreed upon by and among them.

25. That the said Partnership firm shall be governed by the provisions of the Indian Partnership Act, 1932 if not specifically provided herein above.

NOTARY ... GOVT. OF U.P. LUCKNOW

In witness there of the parties to this deed have put their respective hand on the day, month and year mentioned above and in the presence of,

WITNESSES:

Lucknow

Dated : 16-11-2021

1- ASIM SIDDIQUI
16, Newton Apartment,
B.n. Road, Opposite
Shalimar Square
LUCKNOW

2-. RIZWANUR RAHMAN
183 KASIF ALI SARAEN
UNNAO
Rrahman

ATTESTED

15-11-21

Ajeet Kumar Mathur
Advocate Notary
14-D, Ravindra Palli
Faizabad Road, Lucknow

TYPED BY :

(Ram Sanehi)
Civil Court, Lucknow

DRAFTED BY :

(RIZWI KHAN)
Advocate
Civil Court Lucknow

who has signed ... before me

अनुलग्नक - 01

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831; 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Category : GREEN
Ref No. - 251806/UPPCB/Unnao(UPPCBRO)/CTE/UNNAO/2025

Application Id : 33986501
Dated : 09/10/2025

To,

M/S JAMILUR RAHMAN SIDDIQUI
BURLINGTON LAYER FARM
GATA NO.-431, VILL-RAHIMABAD, TEHSIL-SAFIPUR, DISTT-UNNAO,UNNAO,
UNNAO

Sub : **Consent To Establish(C.T.E) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Pollution ofcontrol) Act, 1974 as amended and section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended**

Kindly refer to your application for Consent to Establish (C.T.E) dated 04/10/2025 received on 04/10/2025 for the proposed Project of BURLINGTON LAYER FARM Expansion of Existing Unit/ Modernization/diversification of existing plant at GATA NO.-431, VILL-RAHIMABAD, TEHSIL-SAFIPUR, DISTT-UNNAO,UNNAO, under section 25/26 of Water (Prevention & Pollution of Control) Act 1974 as amended and section 21 of Air (Prevention & control of Pollution) Act, 1981 as amended.. Your Consent to Establish application is hereby Refused due to following reasons :

Reason:

1. During the inspection, Birds were found in both sheds, and dead Birds were found, and no proper disposal arrangements were found.
2. At the time of inspection, the chimney for emission of flue gases generated by DG set was found not installed as per the standards.
3. At the time of inspection, the village of Rahimabad was located approximately 180 meters from the layer farm. At the time of inspection, the open storage of waste (chicken droppings) from the layer farm was causing a foul odor and breeding of flies. The sanitation system at the layer farm was found to be inadequate, which is likely to have adverse effects on the health of the surrounding villagers.
4. The site standards for establishing a poultry farm/layer farm, as prescribed under the Unit Poultry Policy-2013, are not being met. Additionally, the Central Pollution Control Board issued guidelines for poultry farms in January 2022. According to the guidelines, poultry farms should be located approximately 500 meters from residential areas. The poultry farm has not been established in accordance with the guidelines and the measures provided in the poultry policy.

The Consent To Establish (C.T.E) Application under section 25/26 of The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended and section 21/22 of The Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 as amended, is hereby refused and you are hereby informed to comply the mandatory provisions of aforesaid acts.

(Authorized Signatory)

SHASHI VINDKAR

Regional Officer

Copy To -

CEO, C-5, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.

SHASHI VINDKAR

Regional Officer

(Authorized Signatory)

मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

जनसहभागिता का सन्देश

- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प में -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय ।
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है। वेस्ट /अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें। इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई-वेस्ट रीसाइकलर को दें। प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका पृथक्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है। वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं। उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें। स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है।

सलग्नक-

C/15322/2023-CIRL-UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C.12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in • Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ सं0 H33492 /सी-3/लाइफ-166/2025   दिनांक 14/10/25
पंजीकृत

सेवा में,

श्री अत्तान मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म,
ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर थाना-आसीवन,
जनपद-उन्नाव।   मो0 नं0 7054519715

यह कि श्री अत्तान मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव द्वारा लेयर फार्मिंग के माध्यम से लगभग 28,000 मुर्गियों से अण्डा लगभग 25,000 प्रतिदिन का उत्पादन कार्य करते हुए उक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(के) के अन्तर्गत एक इकाई है।

यह कि पोल्ट्री फार्म के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, एवं उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सफीपुर, उन्नाव के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.09.2025 को किया गया।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय लेयर फार्म से लगभग 180 मी0 की दूरी पर ग्राम-रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित वेस्ट (मुर्गियों के बीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी तथा मक्खियां आदि जनित हो रही थी। लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी, जिससे आस-पास ग्राम वासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।

यह कि निरीक्षण के समय लेयर फार्म संचालक द्वारा किसी विभाग से लाइसेन्स/अनुमति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि लेयर फार्म की स्थापना से पूर्व या संचालन हेतु किसी भी विभाग से कोई एन.ओ.सी./लाइसेन्स नहीं प्राप्त किया गया है। कुक्कुट नीति-2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिये गाइड जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मी0 की दूरी पर होनी चाहिए। उक्त संदर्भित पोल्ट्री फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन एवं कुक्कुट नीति में प्राविधानित मापदण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्र संख्या-538/2025/सा0-01/बी-II दिनांक 12.09.2025 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु राज्य बोर्ड की प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री अत्तान मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत निम्नवत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न श्री अत्तान मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

प्राप्त किया। अत्तान 8707857209 24.10.25

..2

…C/25117/2025-CIRS-UPPCB

(2)

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाये श्री सुलतान मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव में संचालित आटा चक्की, चावल एवं तेल उद्योग को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल बन्द कर दिया जाये।

उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR
Date: 13-10-2025 16:02:23

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–5)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–5)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720838, Fax - 0522-2720764
Email; Info@uppcb.in, Web - www.uppcb.in

संदर्भ सं०, H33492/सी-5/वायु- 166/2025

दिनांक - 14.10.2025

पंजीकृत

सेवा में,

श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म,
ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर थाना-आसीवन,
जनपद-उन्नाव।
मो० नं० - 7054519715

यह कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फॉर्म ग्राम-रहीमाबाद, तहसील - सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव द्वारा लेयर फार्मिंग के माध्यम से लगभग 28,000 मुर्गियों से

अण्डा लगभग 25,000 प्रतिदिन का उत्पादन कार्य करते हुए उक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1931 की धारा-2 (के) के अन्तर्गत एक इकाई है।

यह कि पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत क्रम में पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण मुख्य पशुचिकित्साल्यधिकारी, एवं उप मुख्य पशुचिकित्साल्यधिकारी, सफीपुर उन्नाव के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, उ प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.09.2025 को किया गया।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय लेयर फार्म से लगभग 180 मी० की दूरी पर ग्राम-रहीमाबाद की आबादी स्थित पायी गयी। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित -वेस्ट (मुर्गियों के वीट) को खुले में भण्डारित किये जाने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी तथा मख्खियां आदि जमित हो रही थी। लेयर फार्म में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नही पायी गयी, जिससे आस पास ग्राम वासियों के स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध

के नियंत्रण तथा जनित सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेन्ट हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी।

यह किं निरीक्षण के समय लेयर फार्म संचालक द्वारा किसी विभाग से लाइसेन्स / अनुमति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया, जिससे स्पष्ट है। कि लेयर फार्म की स्थापना से पूर्व या संचालन हेतु किसी भी विभाग से कोई एन ओ सी/लाइसेन्स नही प्राप्त किया गया है। कुस्कूट निती -2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जनवरी 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिये गाइड़ जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 600 मीटर दूरी पर होनी चाहिए। उक्त संदर्भित पोल्ट्री फॉर्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन एवं कुस्कुट नीति में प्राविधानित मापदण्डों के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ० प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्र संख्या-538/2026/सा0-01/वी-II दिनांक 12.09.2025 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण

निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अत: उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु राज्य बोर्ड को प्रवत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्प में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनउपरान्त श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम - रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर थाना-आसीवन जनपद-उन्नाव के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्नवत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फ़ार्म, ग्राम रहीमाबाद, तहसील सफीपुर, थाना आसीवन, जनपद - उन्नाव का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाये श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना - आसीवन , जनपद - उन्नाव में

संचालित आटा चक्की, शॉप एवं तेल उद्योग को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल बंद कर दिया जाये।

उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हैतु
अधिकृत
Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 13.10.2025
(16.02.2023)
पर्यावरण अभियंता
प्रभारी (वृत्त - 5)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उन्नाव।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियंता

प्रभारी (वृत्त - 5)

स्लग्नक-01

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522-2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ सं0 H34014 /सी-5/वायु-100/2025 दिनांक 29/10/2025
पंजीकृत

सेवा में,

श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म,
ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन,
जनपद-उन्नाव।

यह कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव द्वारा लेयर फार्मिंग के माध्यम से लगभग 28,000 मुर्गियों से अण्डा लगभग 25,000 प्रतिदिन का उत्पादन कार्य करते हुए उक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जिसे वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच 33492/सी-5/वायु-100/2025 दिनांक 14.10.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 24.10.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय लेयर पोल्ट्री फार्म के प्रतिनिधि के रूप में मो0 असद, सुपरवाइजर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पाई गयी। इकाई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 के अनुपालन में अपना उत्तर प्रेषित नही किया गया है।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय लेयर फार्म में मृत मुर्गियों के निस्तारण हेतु एक नग सीमेन्टेड टैंक मुर्गी फार्म परिसर में स्थापित पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मृत मुर्गियों को टैंक में डालकर नमक आदि मिलाकर निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में टैंक में पानी भर जाने के कारण मृत मुर्गियों को लेयर फार्म परिसर में ही खुले में ओवरहेड सीमेन्टेड टैंक के अन्दर जला दिया जाता है। निरीक्षण के समय खुले में ओपेन सीमेन्टेड टैंक जमीन के ऊपर स्थापित पाया गया। जिसमें मरी हुयी मुर्गियों को रखा गया था। लेयर फार्म प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रात में मृत मुर्गियो को जला दिया जायेगा। मृत मुर्गियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले दुर्गन्ध एवं धुए आदि के नियन्त्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी। निरीक्षण के समय लेयर फार्म के संचालन से जनित सालिड वेस्ट (मुर्गियों की बीट इत्यादि) को पोल्ट्री फार्म के नीचे भण्डारित किया जाता पाया गया, जिससे दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी। निरीक्षण के समय साफ-सफाई की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई से दुर्गन्ध/मक्खियों के उत्पन्न होने से मौके पर पब्लिक न्यूसेंस की समस्या व्याप्त पायी गयी। निरीक्षण के समय आस-पास के क्षेत्र के लोग एकत्रित हो गये एवं उनके द्वारा लेयर फार्म को बन्द कराये जाने हेतु नारे बाजी की गयी। मौके पर एकत्रित भीड में उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध अत्यन्त रोष व्याप्त पाया गया। उक्त लेयर पोल्ट्री फार्म इकाई के विरूद्ध आई0जी0आर0एस0 एवं विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त है। उक्त इकाई के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, तहसील-सफीपुर, उन्नाव के न्यायालय में मुकदमा संख्या टी202510890308948 विचाराधीन है।

(2)

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार लेयर फार्म इकाई स्थल से लगभग 180 मीटर की दूरी पर ग्राम रहीमाबाद की आबादी स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जनवरी–2022 में पोल्ट्री फार्म के लिये गाइड लाइन जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मी0 की दूरी पर होनी चाहिए। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म इकाईयो के सम्बन्ध में जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms बिन्दु संख्या–7 में निर्धारित साईटिंग काइटेरिया के अनुरूप लेयर फार्म का स्थल उपयुक्त नही है। निरीक्षण के समय इकाई में 10, 30 एवं 40 के.वी.ए. क्षमता का 03 नग डी0जी0 सेट स्थापित पाये गये। डी0जी0 सेट से जनित फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु चिमनी मानकों के अनुरूप स्थापित नही पायी गयी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms के अन्तर्गत निर्धारित Gaseous emission (NH3 & H2S), Odour control Management of Solid wastes (Manure handling, Hatchery waste & Dead Waste disposal) नियन्त्रण/निस्तारित हेतु कोई वैज्ञानिक व्यवस्था लेयर फार्म में स्थापित नही पायी गयी। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्र संख्या–845/एन0ओ0सी0–1991/2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि करते हुए निम्नवत् बन्दी आदेश जारी किया जाता है–

1. श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव को निर्देशित किया जाता है कि बन्दी आदेश की प्राप्ति उपरान्त जीवित पक्षियों को निकालना सुनिश्चित करें।
2. श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।
1. सक्षम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाये श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल बन्द किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 29-10-2025
18:30:36

(प्रवीन कुमार)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

...3

(3)

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव की विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव की जल आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि कोई अनुज्ञा प्रदान की गयी हो तो उसे निरस्त करते हुए श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम–रहीमाबाद, तहसील–सफीपुर, थाना–आसीवन, जनपद–उन्नाव से जीवित पक्षियों को तत्काल उक्त परिसर से बाहर निकलवाकर बन्दी आदेश सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी, वृत्त–5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720838, Fax - 0522-2720764
Email; Info@uppcb.in, Web - www.uppcb.in

संदर्भ सं०, H34014/सी-5/वायु- 168 /2025

दिनांक - 29.10.2025

पंजीकृत

सेवा में,
श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म,
ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर थाना-आसीवन,
जनपद-उन्नाव।

यह कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म; ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव द्वारा लेयर फार्मिंग के माध्यम से लगभग 28,000 मुर्गियों से अण्डा लगभग 25,000 प्रतिदिन का उत्पादन कार्य करते हुए उक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जिसे वायु (प्रदूषण निवारण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि राज्य बोर्ड के पत्रांक एच- 33492/सी-5/वायु-168/2025 दिनांक 14.10.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके कम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 24.10.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय लेयर पोल्ट्री फार्म के प्रतिनिधि के रूप में मो० असद, सुपरवाइजर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पाई गयी। इकाई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 के अनुपालन में अपना उत्तर प्रेषित नहीं किया गया है।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय लेयर फार्म में मृत मुर्गियों के निस्तारण हेतु एक नग सीमेन्टेड टैंक मुर्गी फार्म परिसर में स्थापित पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मृत मुर्गियों को टैंक में डालकर

नमक आदि मिलाकर निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में टैंक में पानी भर जाने के कारण मृत मुर्गियों को लेयर फार्म परिसर में ही खुले में ओवरहेड सीमेन्टेड टैंक के अन्दर जला दिया जाता है। निरीक्षण के समय खुले में ओपेन सीमेन्टेड टैंक जमीन के ऊपर स्थापित पाया गया। जिसमें मरी हुयी मुर्गियों को रखा गया था। लेयर फार्म प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रात में मृत मुर्गियो का जला दिया जायेगा। मृत मुर्गियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले दुर्गन्ध एवं धुए आदि के नियन्त्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयीं। निरीक्षण के समय लेयर फार्म के संचालन से जनित सांलिड वेस्ट (मुर्गियों की बीट इत्यादि) को पोल्ट्री फार्म के नीचे भण्डारित किया जाता पाया गया, जिससे दुर्गन्ध उत्पन्न हो रही थी। निरीक्षण के समय साफ-सफाई की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई से दुर्गन्ध/ मक्खियों के उत्पन्न होने से मौके पर पब्लिक न्यूसेंस की समस्या व्याप्त पायी गयी। निरीक्षण के समय आस-पास के क्षेत्र के लोग एकत्रित हो गये एवं उनके द्वारा लेयर फार्म को बन्द कराये जाने हेतु नारे बाजी की गयी। मौके पर एकत्रित भीड में उक्त लेयर फार्म के विरूद्ध अत्यन्त शेष व्याप्त पाया

गया। उक्त लेयर पोल्ट्री फार्म इकाई के विरूद्ध आई०जी०आर०एस० एवं विभिन्न माध्यमो से शिकायतें प्राप्त है। उक्त इकाई के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-152 (पब्लिक न्यूसेन्स) के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, तहसील-सफीपुर, उन्नाव के न्यायालय में मुकदमा संख्या टी202510690308948 विचाराधीन है।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार लेयर फार्म इकाई स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ग्राम रहीमाबाद की आबादी स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जनवरी-2022 में पोल्ट्री फार्म के लिये गाइड लाइन जारी की गयी है। जारी गाइड लाइन के अनुसार पोल्ट्री फार्म की स्थापना आवासीय क्षेत्र से लगभग 500 मी० की दूरी पर होनी चाहिए। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म इकाईयो के सम्बन्ध में जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms बिन्दु संख्या-7 में निर्धारित साईटिंग क्राइटेरिया के अनुरूप लेयर फार्म का स्थल उपयुक्त नही है। निरीक्षण के समय इकाई में 10, 30 एवं 40 के.वी.ए. क्षमता का 03 नग डी०जी० सेट स्थापित पाये

गये। डी०जी० सेट से जनित फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु चिमनी मानकों के अनुरूप स्थापित नही पायी गयी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Environmental Guidelines for Poultry Farms के अन्तर्गत निर्धारित Gaseous emission (NH3 & H2S), Odour control Management of Solid wastes (Manure handling, Hatchery waste & Dead Waste disposal) नियन्त्रण / निस्तारित हेतु कोई वैज्ञानिक व्यवस्था लेयर फार्म में स्थापित नही पायी गयी। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्र संख्या-845/एन०ओ०सी०-1991/2025 दिनांक 29.10.2025 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान

करने हेतु राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2025 की पुष्टि करते हुए निम्नवत् बन्दी आदेश जारी किया जाता है-

1. श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव को निर्देशित किया जाता है कि बन्दी आदेश की प्राप्ति उपरान्त जीवित पक्षियों को निकालना सुनिश्चित करें।

2. श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।

    1. सक्षम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाये श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव को मिलने वाली

बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल बन्द किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हैतु अधिकृत

Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 09.10.2025
18:30:36

पर्यावरण अभियंता
प्रभारी (वृत्त - 5)

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आंवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री अंत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव की विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करें।

4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव की जल आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करें।

5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि कोई अनुज्ञा प्रदान की गयी हो तो उसे निरस्त करते हुए श्री अत्तन मियां द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म, ग्राम-रहीमाबाद, तहसील-सफीपुर, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव से जीवित पक्षियों को तत्काल उक्त परिसर से बाहर निकलवाकर बन्दी आदेश सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी, वृत्त - 5

श्री अत्तन मियां, द्वारा ग्राम रहीमाबाद तहसील सफीपुर थाना [illegible], जनपद उन्नाव में पोल्ट्री फार्म के संचालन से ग्राम वासियों को हो रही परेशानी के कि [illegible], सफीपुर के कार्यालय में प्राप्त शिकायत दिनांक [illegible] के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में शिकायती मुर्गी फार्म का निरीक्षण [illegible], सफीपुर, उन्नाव के साथ अवर अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उन्नाव संयुक्त रूप से दिनांक 03.10.2025 को निरीक्षण किया गया निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त शिकायती पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म में तथा पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म के आस पास मक्खियों का प्रकोप वर्तमान में वैसा ही है जैसा पूर्व निरीक्षण 11.09.2025 को पाया गया था।
2. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है। निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म में [illegible] मुर्गियां पायी गयी। उक्त मुर्गियों से लगभग 20000 अण्डा उत्पादन किया जाता है।
3. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म से ग्राम रहीमाबाद की दूरी लगभग 100 मीटर है निरीक्षण के समय मुर्गियों की बीट के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी। जनित वेस्ट (मुर्गियों की बीट) को खुले में भण्डारित होता पाया गया जिससे मक्खियां पर्याप्त मात्रा में पायी गयी।
4. पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियन्त्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी।
5. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मक्खियों में कमी लाने के लिए साइपर मैथरीन दवा का छिड़काव किया जाता है।
6. निरीक्षण के समय मृत मुर्गियां खुले में पायी गयी जिससे दुर्गन्ध तथा मक्खियाँ होने की सम्भावना है।
7. कुक्कुट नीति 2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड को पूर्ण नहीं किया जा रहा है।
8. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म द्वारा वर्तमान में शामिल वेस्ट जनित के निस्तारण की समस्या पूर्वानुसार किये गये निरीक्षण के अनुसार ही है। पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म के संचालन द्वारा समस्या के समाधान हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।
9. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा ग्राम के पास संचालित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म को बन्द किये जाने तथा ग्राम वासियों के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहे विपरीत प्रभाव जैसे दुर्गन्ध मक्खियां आदि को तत्काल रोक लगाये जाने का विरोध किया जाता पाया गया।
10. उपरोक्त के क्रम में पूर्व में दिनांक 01.09.2025 व 03.09.2025 को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से प्रकरण की जांच आख्या दिनांक 11.09.2025 के आधार पर उपजिलाधिकारी, सफीपुर जनपद-उन्नाव में वाद संख्या टी202510800308940 के अन्तर्गत धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म ग्राम रहीमाबाद के विरूद्ध जारी की गयी थी।
11. उपजिलाधिकारी, सफीपुर जनपद-उन्नाव द्वारा पुनः पत्र संख्या 894/अह0फौज0/संयुक्त जांच-पोल्ट्री फार्म/2025 दिनांक 20.09.2025 को पुनः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उन्नाव व उप मुख्यपशुचिकित्साधिकारी, सफीपुर को पुनः जांच करने हेतु पत्र जारी किया गया उपरोक्त के क्रम मे पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म रहीमाबाद में दिनांक 03.10.2025 को संयुक्त रूप से की गयी जांच में पाया गया की के माध्यम से न्यायालय उपजिलाधिकारी, सफीपुर, जनपद-उन्नाव द्वारा धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म संचालक द्वारा तद्दिनांक 03.10.2025 तक कोई भी सुधार नही किया गया है पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थिति पूर्व निरीक्षण दिनांक 11.09.2025 की ही भांति है।

कुक्कुट नीति 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

03/10/2025

(वीरेन्द्र कुमार)
अवर अभियन्ता

(डा0 भूपेन्द्र सिंह)
उप पशुचिकित्साधिकारी

श्री अत्तन मियां, द्वारा ग्राम राहीमाबाद तहसील सफीपुर थाना आसीवन, जनपद उन्नाव में पोल्ट्री फार्म के संचालन से ग्राम वासियों को हो रही परेशानी के कि शिकायत उपजिलाधिकारी, सफीपुर के कार्यालय में प्राप्त शिकायत दिनांक 20.09.2025 के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में शिकायती मुर्गी फार्म का निरीक्षण उपमुख्य चिकित्साधिकारी, सफीपुर, उन्नाव के साथ अवर अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव संयुक्त रूप से दिनांक 03.10.2025 को निरीक्षण किया गया निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त शिकायती पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म में तथा पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म के आस पास मखियों का प्रकोप अभी वैसा ही है जैसा पूर्व निरीक्षण 11.09.2025 को पाया गया था।

2. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म एक लेयर फार्मिंग है। निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म में 28000 मुर्गियां पायी गयी। उक्त मुर्गियों से लगभग 25000 अण्डा उत्पादन किया जाता है।

3. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म से ग्राम रहीमाबाद की दूरी लगभग 180 मीटर है निरीक्षण के समय मुर्गियों की बीट के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी। जनित वेस्ट (मुर्गियों की बीट) को खुले में भण्डारित होता पाया गया जिससे मक्खिया पर्याप्त मात्रा में पायी गयी।

4. पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म से जनित दुर्गन्ध के नियन्त्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी।

5. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मक्खियों में कमी लाने के लिए शाहपर मैथरीन दवा का छिड़काव किया जाता है।

6. निरीक्षण के समय मृत मुर्गियां खुले में पायी गयी जिससे दुर्गन्ध तथा मक्खियाँ होने की सम्भावना है।

7. कुक्कट नीति 2013 के अन्तर्गत निर्धारित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड को पूर्ण नहीं किया जा रहा है।

8. प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म द्वारा वर्तमान में सालिड वेस्ट जनित के निस्तारण की समस्या पूर्वानुसार किये

गये निरीक्षण के अनुसार ही है। पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म के संचालन द्वारा समस्या के समाधान हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

9. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा ग्राम के पास संचालित पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म को बन्द किये जाने तथा ग्राम वासियों के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहे विपरीत प्रभाव जैसे दुर्गन्ध मक्खियाँ आदि को तात्काल रोक लगाये जाने का विरोध किया जाता पाया गया।

10. उपरोक्त के कम में पूर्व में दिनांक 01.09.2025 व 03.09.2025 को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से प्रकरण की जांच आख्या दिनांक 11.09.2025 के आधार पर उपजिलाधिकारी, सफीपुर जनपद-उन्नाव में वाद संख्या टी202510690308948 के अन्तर्गत धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सरकार बनाम अत्तन मियां उर्फ अताउर्रहमान सिद्दीकी, संचालक पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म ग्राम रहीमाबाद के विरूद्ध जारी की गयी थी।

11. उपजिलाधिकारी, सफीपुर जनपद-उन्नाव द्वारा पुनः पत्र संख्या 694/अह0फौज0/संयुक्त जांच-पोल्ट्री फार्म/2025

दिनांक 29.09.2025 को पुनः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उन्नाव व उप मुख्यपशुचिकित्साधिकारी, सफीपुर को पुनः जांच करने हेतु पत्र जारी किया गया उपरोक्त के कम में पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म रहीमाबाद में दिनांक 03.10.2025 को संयुक्त रूप से की गयी जांच में पाया गया की के माध्यम से न्यायालय उपजिलाधिकारी, सफीपुर, जनपद- उन्नाव द्वारा धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म संचालक द्वारा तद्दिनांक 03.10.2025 तक कोई भी सुधार नहीं किया गया है पोल्ट्री फार्म/लेयर फार्म की स्थिति पूर्व निरीक्षण दिनांक 11.09.2025 की ही भांति है।

कुक्कट नीति 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Sd/-	**Sd/-**
(बीरेन्द्र कुमार)	**डा0 भूपेन्द्र सिंह)**
अवर अभियन्ता	**उप पशुचिकित्साधिकारी**